क्रम संख्या–79 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 21 मई, 2003 ई0

बैशाख 31, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 175/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 21 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 को दिनांक 21–5–03 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 04, सन् 2003 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2003)

सहकारिता की विरचना करने तथा सहकारिताओं को उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए वित्तीय दृष्टि से अभ्यंतर सेवाओं में ऐसी लाभकारी व्यवस्था करके जो उनके द्वारा अनुभव की गई सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, एक ऐसे आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, परस्पर सहायता प्राप्त, स्वशासी, स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक, व्यवसायिक उद्यमों के रुप में जो सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में हो, उनके द्वारा संचालित और नियंत्रित हो, संपरिवर्तित करने के लिए तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु विधेयक जो भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान–सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में अधिनियमित हो:–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य मे होगा ।

(3) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार उत्तरांचल सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी तिथि नियत करते समय राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि घोषणा के विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कोई भी उपबन्ध नियत तिथि से प्रवृत्त नहीं होंगे और उस स्थिति में वैसे उपबन्ध ऐसी तिथि अथवा तिथियों से प्रवृत्त होंगे जैसा कि राज्य सरकार इसी प्रकार नियत करे।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) "माध्यस्थम् अधिकरण" (Arbitrator Tribunal) से अभिप्रेत है – उस सहकारिता के संगम अनुच्छेदों के अनुसार विवादों का निपटारा करने के लिए सहकारिता के सामान्य निकाय द्वारा गठित किसी व्यक्ति अथवा विषम संख्या में व्यक्तियों का एक समूह ;

(2) "संगम अनुच्छेद" (Bye-laws) से अभिप्रेत है–ऐसी सहकारिता के प्रवर्तकों द्वारा मूल रुप से तय की गई अथवा इस अधिनियम के अनुसार सहकारिता के सामान्य निकाय द्वारा सहकारिता के कार्यों के प्रबन्धन हेतु समय–समय पर संशोधित संगम अनुच्छेद;

(3) "निदेशक बोर्ड" अथवा "बोर्ड" से अभिप्रेत है– सहकारिता का शासी निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसे संगम अनुच्छेदों के अधीन सहकारिता के कार्य करने के निदेश सौंपे गए हैं ;

(4) "मुख्य कार्य पालक" से अभिप्रेत है– वैतनिक या अवैतनिक हैसियत वाला वह व्यक्ति जिसे संगम अनुच्छेद के अनुसार बोर्ड द्वारा सदस्यों, निदेशकों या अन्य में से नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो, एक ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर समिति के नाम से वाद चलाया जा सकेगा तथा जो समिति की ओर से वाद चला सकेगा, जो ऐसे कार्यों का पालन करेगा तथा जिसके ऐसे उत्तरदायित्व होंगे और जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट है तथा बोर्ड द्वारा समनुदेशित की गई है ;

(5) "समान्य आवश्यकता" से अभिप्रेत है – ऐसी आर्थिक आवश्यकता जो उन सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य है जो सहकारिता बनाने की वांछा करते हैं या जिन्होंने किसी सहकारिता में सदस्यता ग्रहण की है तथा सहकारिता जिन्हें अपनी अभ्यंतर सेवाओं के उपबन्धों के माध्यम से पूरा करने की प्रत्याशा करती है ;

(6) "सहकारिता" (कोआपरेटिव) का जहाँ संज्ञा के रुप में प्रयोग किया गया है वहां, उससे अभिप्रेत है–इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी, परस्पर सहायता प्राप्त, स्वायत्त, स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक व्यवसायिक उद्यम जो सदस्यों द्वारा महसूस की गई सामान्य आवश्यकता को पूरा करने वाली अभ्यंतर सेवाओं के वित्तीय रुप से लाभकर उपबन्ध के माध्यम से उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए इसके सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व प्रबन्धन और नियंत्रण में हो ;

(7) "सहकारी कारोबार" से अभिप्रेत है – कोई ऐसा कारोबार जो सहयोग के सिद्धान्तों के अनुसार कृत्य करने का आशय रखता हो और इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत सभी सहकारिताओं को सम्मिलित करता हो ;

(8) "सहकारी पहचान" से अभिप्रेत है – इस अधिनियम की अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट सहकारी पहचान का विवरण ;

(9) "सहकारी समिति" से अभिप्रेत है– उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन उत्तरांचल राज्य गठन की तिथि से पूर्व अथवा पश्चात उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति;

(10) 'सहकारी समिति अधिनियम" से अभिप्रेत है– उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 ;

(11) "अभ्यंतर सेवा" (कोर सर्विस) से अभिप्रेत है– सदस्यों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सेवायें जिनके माध्यम से सहकारिता सभी सदस्यों की उन सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति का आशय रखती है जिनकी पूर्ति के लिए सहकारिता का गठन किया गया था तथा जिनसे सदस्यों की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति की उम्मीद है ;

(12) "न्यायालय" से अभिप्रेत है– किसी जिले में मूल क्षेत्राधिकार वाला प्रधान सिविल न्यायालय और इसमे मूल सिविल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय भी शामिल है ;

(13) "घाटा" से अभिप्रेत है– शेयर पूंजी पर लाभांश, यदि कोई हो, की अदायगी के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में आय पर व्यय का शुद्ध आधिक्य ;

(14) "घाटे का प्रभार" से अभिप्रेत है– घाटे की, राशि यदि कोई हो, पूर्णतः या अंशतः पूर्ति करने के लिए संगम अनुच्छेद और साधारण निकाय के संकल्प के अनुसार सहकारिता की सेवाओं के उपयोग या अनुपयोग के अनुपात में सदस्यों से एकत्र की गई या उनके लेखे में विकलित की गई राशि ;

(15) "प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है– वह सदस्य जो किसी सहायक सहकारिता की प्रोन्नति के समय तथा ऐसी सहकारिता के जिससे वह सहकारिता संबद्ध है, सभा के समय उसके हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है ;

(16) "निदेशक" से अभिप्रेत है–वह सदस्य जिसे संगम अनुच्छेद के अनुसार सहकारिता के बोर्ड का निदेशक चुना गया है ;

(17) "वित्तीय वर्ष" से अभिप्रेत है–संगम अनुच्छेद में अन्यथा व्यवस्था न होने की दशा में वह वर्ष जो अप्रैल के पहले दिन से शुरु होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है ;

(18) "साधारण निकाय" से अभिप्रेत है – सहकारिता के संबंध में अभिप्रेत उसके सभी सदस्य ;

(19) "साधारण सभा" से अभिप्रेत है – इस अधिनियम और संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार बुलायी गयी तथा संचालित की गयी साधारण निकाय की कोई सभा ;

(20) "सरकार" से अभिप्रेत है – उत्तरांचल सरकार, ;

(21) "सदस्य" से अभिप्रेत है – ऐसा कोई व्यक्ति जिसे सहकारिता की अभ्यंतर सेवाओं की वांछा है और जो इसका उपयोग करने मे सक्षम है तथा जो इस अधिनियम एवं संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार सहकारिता के सदस्य के रुप में सम्मिलित किया गया है और सदस्य बना हुआ है, इसमें सदस्य सहकारिता शामिल है ;

(22) "सदस्य सहकारिता" से अभिप्रेत है – ऐसी कोई प्राथमिक या सहायक सहकारिता जिसे किसी सहायक सहकारिता की अभ्यंतर सेवाओं की वांछनीयता है और जो इसका उपयोग करने में सक्षम है तथा जिसे इस अधिनियम तथा सहायक सहकारिता के संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार उस सहायक सहकारिता के सदस्य के रुप में सम्मिलित किया गया है ;

(23) "संगम ज्ञापन" से अभिप्रेत है – वह दस्तावेज जो प्रवर्तकों के एक सहकारिता के रुप में गठन की इच्छा को व्यक्त करता है ;

(24) "पदाधिकारी" से अभिप्रेत है – संगम अनुच्छेद के अनुसार किसी सहकारिता के बोर्ड द्वारा ऐसी सहकारिता के किसी पद हेतु चुना गया निदेशक ;

(25) "सहकारिता अधिकारी" से अभिप्रेत है – किसी सहकारिता द्वारा उसका कारोबार संपन्न करने अथवा कार्यकलापों के पर्यवेक्षण हेतु पारिश्रमिक अथवा गैर पारिश्रमिक आधार पर नियोजित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सचिव, मुख्य कार्यपालक, प्रबन्धन समिति का सदस्य, कोषाध्यक्ष, लिक्विडेटर अथवा सहकारिता द्वारा नियोजित कोई अन्य व्यक्ति;

(26) "साधारण संकल्प" से अभिप्रेत है – साधारण निकाय का ऐसा कोई संकल्प जिसे साधारण सभा में मत देने का अधिकार रखने वाले, उपस्थित और मतदान में हिस्सा लेने वाले बहुमत सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त हो ;

(27) "व्यक्ति" से अभिप्रेत है–ऐसा कोई व्यक्ति अथवा संस्था जो संविदा करने में सक्षम हो ;

(28) "संभावित सदस्य" से अभिप्रेत है – ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी सहकारिता द्वारा प्रदत्त की जा रही अभ्यंतर सेवाओं की वांछा रखता हो और उस सहकारिता का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो परन्तु अभी तक उसका सदस्य न हो ;

(29) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है–बोर्ड के चुने हुए सदस्यों द्वारा इसकी समाओं एवं साधारण निकाय की समाओं की अध्यक्षता करने, ऐसे अन्य कार्यों को संपन्न करने, ऐसी अन्य शक्तियों एवं दायित्वों को धारण करने के लिए चुना गया हो जैसा कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट हो तथा बोर्ड द्वारा समनुदेशित किया गया हो ;

(30) "प्राथमिक सहकारिता" से अभिप्रेत है–ऐसी कोई सहकारिता जिसके सदस्य व्यक्ति हैं ;

(31) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है–वह व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन सहकारिताओं के रजिस्ट्रार के रूप में तत्समय नियुक्त किया गया हो ;

(32) "सहायक सहकारिता" से अभिप्रेत है–ऐसी कोई सहकारिता जिसके सदस्य प्राथमिक सहकारिताएं हों ;

(33) "विशेष संकल्प" से अभिप्रेत है– साधारण निकाय का ऐसा संकल्प जो कि कम से कम 15 दिन की सूचना पर बुलाई गई सभा में मत देने का अधिकार रखने वाले सहकारिता के कुल सदस्यों में से आधे से अधिक अथवा साधारण सभा में उपस्थित एवं मताधिकार का प्रयोग करने वाले दो तिहाई सदस्यों या जो भी कम हो द्वारा पारित किया गया हो ;

(34) "अधिशेष" से अभिप्रेत है–वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय के ऊपर आय का आधिक्य, जो अंश पूंजी पर लाभांश और बोनस, यदि कोई हो, का भुगतान के बाद प्राप्त होता है ;

(35) "अधिशेष प्रतिदाय" से अभिप्रेत है–संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार सहकारिता की सेवा के उपयोग के अनुपात में सदस्यों को दिये गए या उनके लेखा में जमा या विकलित किए गए अधिशेष का प्रतिदाय।

अध्याय–2

निगमन

सहकारिता का पंजीकरण

3. (1) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को राज्य सहकारिताओं का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा रजिस्ट्रार की सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी तथा ऐसे व्यक्तियों में रजिस्ट्रार की कोई एक अथवा अन्य कोई शक्ति, जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे; प्रदत्त कर सकेगी।

(3) इस अधिनियम की अधिसूचना की तारीख से अनुसूची 'क' में संदर्भित सभी सहकारिता कारोबार, जिसके सदस्य उत्तरांचल राज्य से बनाए गए होंगे, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत होंगे।

(4) प्राथमिक सहकारिता गठित करने के इच्छुक व्यक्तियों अथवा सहायक सहकारिता गठित करने के इच्छुक प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी संगम ज्ञापन अनुसूची 'ख' में दिए गए प्रपत्र में रजिस्ट्रार को, दस्ती अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(5) इस अधिनियम के अन्तर्गत सात या अधिक व्यक्ति अथवा दो या अधिक सहकारिताएं एक सहकारिता का गठन कर सकेगी।

(6) रजिस्ट्रार संगम ज्ञापन का पंजीकरण करेगा और उसके संगम अनुच्छेद को अभिलेख पर भी लेगा और अनुसूची 'ग' में यथा विनिर्दिष्ट, पंजीकरण का एक प्रमाण–पत्र, संगम ज्ञापन की एक प्रमाणित प्रति और स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित संगम अनुच्छेद को संगम ज्ञापन प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिन के अन्दर पंजीकृत डाक द्वारा ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जैसा कि ज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(7) यदि इस धारा की उपधारा 4 में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की गई हैं, रजिस्ट्रार ज्ञापन प्रस्तुत करने के 60 दिन के भीतर अस्वीकृति का आदेश, अस्वीकृति के विशिष्ट कारणों सहित पंजीकृत डाक द्वारा ऐसे व्यक्ति को संसूचित करेगा जैसा कि ज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया गया हो :

परन्तु शर्त यह होगी कि अस्वीकृति का कोई भी आदेश, ज्ञापन में विनिर्दिष्ट प्रवर्तकों की ओर से नियुक्त व्यक्ति को अभ्यावेदन करने के अवसर दिए बगैर पारित नहीं किया जाएगा।

(8) रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित पंजीकरण का प्रमाण–पत्र इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उसमें वर्णित सहकारिता इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा के अधीन सम्यक रूप से पंजीकृत सहकारिता है जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि उस सहकारिता का पंजीकरण बाद में निरस्त कर दिया गया है।

(9) जहाँ पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 75 दिन के भीतर ज्ञापन में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को न तो पंजीकरण का प्रमाण–पत्र प्राप्त होता है और न ही अस्वीकार करने हेतु आदेश प्राप्त होता है, वहाँ ऐसी सहकारिता इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत समझी जायेगी तथा रजिस्ट्रार आगामी 15 दिनों के अन्दर पंजीकरण कर प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

इस अधिनियम के अधीन किसी सहकारिता का संपरिवर्तन

4. (1) उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 में अन्यथा प्रावधान होने की स्थिति में भी, सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कोई सहकारी समिति अपने सामान्य निकाय के विशेष संकल्प द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण का विकल्प रख सकेगी :

परन्तु यह कि जहाँ सहकारी समिति ने अपनी अंश पूंजी सरकार से प्राप्त की है जो ऐसी दशा में उसे इस पूंजी को पंजीकरण की तिथि से पाँच वर्षों में, संपरिवर्तन की तिथि पर सरकार की कुल अंश पूंजी का, जो कि 15 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम न हो की दर से, वापस करने का लिखित आश्वासन देना होगा।

(2) ऐसी किसी भी समिति का पंजीकरण इस अधिनियम में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा एवं जहाँ अनुसूची 'घ' में यथा विनिर्दिष्ट पंजीकरण के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करने के 75 दिनों के अन्दर ज्ञापन में विनिर्दिष्ट व्यक्ति न तो अनुसूची 'ड.' में विनिर्दिष्ट पंजीकरण का प्रमाण–पत्र ही प्राप्त करता है और न ही अस्वीकृति का आदेश प्राप्त करता है वहाँ ऐसी सहकारिता इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत समझी जायेगी तथा रजिस्ट्रार आगामी 15 दिनों के अन्दर पंजीकरण का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

सहकारिता एक निगमित निकाय होगी

5. (1) पंजीकरण होने पर प्रत्येक सहकारिता उस नाम से जिसके अधीन वह पंजीकृत की गई है एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने, संविदाएं करने, वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित करने तथा उनमें प्रतिरक्षा करने और ऐसी समस्त बातें जो कि उन प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों जिनके लिए इस अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के अधीन उसका गठन किया गया था, करने की शक्ति होगी।

संगम अनुच्छेद

6. (1) किसी सहकारिता का गठन करने वाले सदस्यों का संगम अनुच्छेद का एक समुच्चय (सेट) होगा जिसका निरुपण एवं संशोधन समय–समय पर इस अधिनियम के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं होगा।

(2) ऐसे विशिष्ट मामलों के अतिरिक्त जिन्हें अधिनियम द्वारा उपबंधित किया गया है और जिन्हें भविष्य में संगम अनुच्छेद द्वारा विनियमित किया जा सकता है किन्तु जो कि सहकारिता के कार्यकलापों के प्रतिकुल नहीं होंगे, को ऐसी सहकारिता के संगम अनुच्छेद द्वारा विनियमित किया जा सकेगा।

(3) संगम अनुच्छेद में इस अधिनियम की अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट विषयों में से जिनकों सदस्यों द्वारा तय किया गया हो का समावेश किया जा सकेगा।

संगम अनुच्छेद का संशोधन

7. (1) कोई सहकारिता, विशेष संकल्प द्वारा अपने संगम अनुच्छेद को संशोधित करने का विनिश्चय कर सकेगी :

परन्तु शर्त यह होगी कि उस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित संशोधन के पाठ कारण सहित, प्रत्येक सदस्य को उस साधारण सभा की, जिसमें कि प्रस्तावित संशोधन पर विचार–विमर्श किया जाएगा, सूचना के साथ भेजे जाएंगे।

(2) संशोधन की एक प्रति सहकारिता द्वारा पंजीकृत डाक से रजिस्ट्रार को उस साधारण सभा की तिथि से 30 दिन की अल्पावधि के अन्दर अग्रेषित की जाएगी, जिसमें कि वह संकल्प पारित किया गया था।

(3) रजिस्ट्रार को अग्रेषित किए गए प्रत्येक संशोधन की एक प्रति अध्यक्ष तथा दो संचालकों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी तथा उसके साथ निम्नलिखित विशिष्टियाँ होंगी:–

(क) उस संशोधन को अंगीकृत करने वाले संकल्प की एक प्रति,

(ख) साधारण सभा की वह तिथि जिसको वह संशोधन अंगीकृत किया गया था,

(ग) वह तिथि जिसको वह संशोधन प्रवृत्त होगा।

(4) रजिस्ट्रार सूचना प्राप्ति के तुरन्त बाद संशोधन को अभिलेख पर लेगा :

परन्तु शर्त यह होगी कि यदि रजिस्ट्रार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा संशोधन इस अधिनियम एवं नियम के उपबन्धों के विपरीत है तो वह ऐसे संशोधन को अभिलेख पर लेने से इन्कार कर सकेगा;

परन्तु और यह कि संशोधन को अभिलेख पर लेने से अस्वीकृति का आदेश सम्बन्धित सहकारिता को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

सहकारिता का नाम

8. (1) कोई भी सहकारिता उसी नाम से पंजीकृत नहीं की जाएगी, जिससे कि कोई दूसरी सहकारिता इस अधिनियम के अधीन या सहकारी समिति अधिनियम के अधीन पूर्व में ही पंजीकृत की गई है :

परन्तु जहाँ किसी सहायक सहकारिता के संगम अनुच्छेद यह अपेक्षा करते हैं कि उसके समस्त सदस्य जो सहकारिताएं हैं, एक सामान्य नाम का प्रयोग करें; वही ऐसी सदस्य सहकारिता के नाम में उसका स्थान या अन्य प्रभेदकारी लक्षण सामान्य नाम के पूर्व या अन्त में सम्मिलित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक सहकारिता सुपाठ्य अक्षरों में अपना पूरा नाम सहज दृश्यस्थिति में प्रदर्शित करेगी–

(क) प्रत्येक कार्यालय या स्थान पर जहाँ वह कारोबार करती है;

(ख) समस्त सूचनाओं और अन्य कार्यालयी प्रकाशनों में;
(ग) उसकी समस्त संविदाओं, कारोबार संबंधी पत्रों, माल हेतु आदेशों, बीजकों, लेखा–विवरणों, प्राप्तियों तथा प्रत्यय पत्रों (क्रेडिट पत्रों) पर ; और
(घ) उसकी ओर से हस्ताक्षरित समस्त विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, पृष्ठांकनों, चैकों तथा धनादेशों पर;

(3) प्रत्येक सहकारिता अपनी सामान्य मुद्रा पर अपना पूरा नाम सुपाठ्य अक्षरों में दर्शित करेगी।

(4) उपधारा (2) की कोई भी बात किसी सहकारिता को पूरे नाम से अधिक सहजदृश्य रूप से ऐसा कोई संक्षिप्त नाम, जिससे कि वह सामान्यता ज्ञात हो और जिसे विशिष्ट रूप से संगम अनुच्छेद में शामिल किया गया हो, प्रदर्शित करने से प्रतिबन्धित नहीं करेगी।

(5) कोई भी सहकारिता अपने संगम अनुच्छेद में संशोधन करके अपना नाम परिवर्तन कर सकेगी :

परन्तु नाम परिवर्तन करने से पूर्व वह सहकारिता अपना नाम परिवर्तन करने के अपने आशय की सूचना रजिस्ट्रार को प्रस्तावित नाम/नामों के साथ देगी और रजिस्ट्रार ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सहकारिता को यह सूचित करेगा कि ऐसा नाम किसी दूसरी सहकारिता द्वारा पूर्व से ही उपयोग में है।

(6) जहाँ कोई सहकारिता अपना नाम परिवर्तन करती है, रजिस्ट्रार:
(क) सहकारिताओं के रजिस्टर में पूर्व नाम के स्थान पर नया नाम प्रविष्ट करेगा,
(ख) संगम ज्ञापन (मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन) और संगम अनुच्छेद में आवश्यक परिवर्तन करेगा,
(ग) आवश्यक परिवर्तनों सहित पंजीकरण का नया प्रमाण–पत्र जारी करेगा,
(घ) संशोधित ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद की प्रमाणित प्रतियों के साथ पंजीकरण का नया प्रमाण–पत्र पंजीकृत डाक से सहकारिता को संसूचित करेगा।

(7) किसी सहकारिता के नाम में परिवर्तन उस सहकारिता या उसके सदस्यों में से किसी सदस्य के या भूतपूर्व सदस्यों के किसी अधिकार या उनकी किसी बाध्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा या ऐसा परिवर्तन उस सहकारिता द्वारा या उसके विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को त्रुटिपूर्ण नहीं बनायेगा और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही जो उस सहकारिता द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकती हो या प्रारम्भ की जा सकती हो, उसके नए नाम से उसी प्रकार जारी रखी जाएगी या प्रारम्भ की जाएगी।

(8) ऐसी कोई सहकारिता जो अपना नाम परिवर्तन करती है, नाम में उस परिवर्तन को उस जिले के प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करवायेगी जिसमें उस सहकारिता का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

पंजीकृत कार्यालय की स्थिति

9. (1) प्रत्येक सहकारिता अपने पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता रजिस्ट्रार को सहकारिता के रूप में पंजीकरण के 90 दिन के अन्दर अधिसूचित करेगी।

(2) प्रत्येक सहकारिता अपने मुख्यालय का पूरा पता निम्नलिखित पर किसी सहजदृश्य स्थिति में सुपाठ्य अक्षरों में प्रदर्शित करेगी:
(क) ऐसे प्रत्येक कार्यालय या स्थान जहाँ वह कारोबार करती है;
(ख) समस्त सूचनाओं में तथा अन्य कार्यालयी प्रकाशनों में;
(ग) उसकी समस्त संविदाओं, कारोबार संबंधी पत्रों, यात्रा हेतु आदेशों, बीजकों, लेखा विलेखों, प्राप्तियों तथा प्रत्यय पत्रों पर; और
(घ) उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से हस्ताक्षरित ऐसे समस्त विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, पृष्ठांकनों, चेकों तथा धनादेशों पर ;

(3) कोई भी सहकारिता संचालक मंडल के संकल्प द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय का पता परिवर्तन कर सकेगी।

तथापि वह ऐसे परिवर्तन की सूचना अपने सदस्यों, लेनदारों, रजिस्ट्रार तथा ऐसी किसी सहायक सहकारिता को ऐसा संकल्प पारित होने के 15 दिन के अन्दर देगा जिससे कि वह संबद्ध हो और उसके सदस्यों एवं लेनदारों को नाम परिवर्तन करने के कम से कम 10 दिन पहले देगा।

(4) रजिस्ट्रार, किसी सहकारिता से पते के परिवर्तन की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर, सहकारिता के परिवर्तित पंजीकृत कार्यालय के पूरे पते को सहकारिताओं के रजिस्टर में अभिलेख पर लेगा।

आस्तियों तथा दायित्वों का अंतरण

10.(1) कोई सहकारिता, विशेष संकल्प द्वारा अपनी संपूर्ण आस्तियाँ तथा दायित्व पूर्णतः या आंशिक रूप में, ऐसी किसी अन्य सहकारिता को, जो विशेष संकल्प द्वारा ऐसी आस्तियाँ तथा दायित्व प्राप्त करने हेतु सहमत होती है, अंतरित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(2) जहाँ इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा(1) के अधीन विशेष संकल्प पारित किए जाते हैं वहाँ प्रत्येक सहकारिता उसके द्वारा पारित संकल्प की प्रति के साथ उसकी सूचना अगले 15 दिनों के अन्दर अपने समस्त लेनदारों को तथा उस सदस्य से भिन्न किसी अन्य सदस्य को जिसने संगम अनुच्छेद अथवा संविदा के उपबन्धों में कोई विपरीत बात होते हुए भी आस्तियों तथा दायित्वों के प्रस्तावित अंतरण का ऐसी आस्तियों तथा दायित्वों को प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, देगी तथा किसी भी लेनदार को, उस सूचना पर तामीली से 15 दिन की कालावधि के दौरान इस सहकारिता पर उसके दायित्वों के उन्मोचन के अधीन रहते हुए अपने हित को सहकारिता से वापस लेने का विकल्प होगा।

(3) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के बारे में जो इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, यह समझा जाएगा कि उसने संकल्प के लिए अपनी सहमति दे दी है।

(4) इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगे जब तक कि–

(क) प्रत्येक सहकारिता के उन सदस्यों तथा लेनदारों के, जिन्होंने इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा(2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, समस्त दावे सम्पूर्ण रूप से पूरे न कर दिए गए हों या अन्यथा उनका समाधान न कर दिया गया हो; और

(ख) सम्बन्धित सहकारिता द्वारा आस्तियों तथा दायित्वों के अंतरण सम्बन्धी सूचना रजिस्ट्रार को प्रेषित कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

(5) जब इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प प्रभावी होता है, संकल्प, आस्तियों एवं दायित्वों को हस्तातंरी में न्यागत होने के लिए बिना किसी और हस्तांतर–पत्र के पर्याप्त सूचना होगा।

(6) जब कोई सहकारिता किसी अन्य सहकारिता को अपनी संपूर्ण आस्तियों तथा दायित्वों का इस धारा के अंतर्गत अंतरण करती है तब आस्तियों तथा दायित्वों का अंतरण करने वाली सहकारिता का पंजीकरण निरस्त हो जाएगा तथा यह समझा जाएगा कि वह विघटित हो गई है तथा वह एक निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगी और रजिस्ट्रार, सहकारिताओं के रजिस्टर से ऐसी सहकारिताओं का नाम हटा देगा।

विभाजन

11.(1) कोई सहकारिता, विशेष संकल्प द्वारा स्वयं को दो या अधिक सहकारिताओं में विभाजित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(2) जहाँ इस धारा की उपधारा(1) के अधीन विशेष संकल्प पारित किया जाता है, वहाँ सहकारिता, संगम अनुच्छेद के उपबंधों या संविदा में कोई विपरीत बात के रहते हुए भी उसके द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति के साथ उसकी सूचना अपने समस्त सदस्यों तथा लेनदारों को तथा उन सदस्यों से भिन्न किसी अन्य सदस्य को जिसने प्रस्तावित विभाजन के पक्ष में मतदान किया है, अगले 15 दिन के

भीतर देगी तथा किसी भी लेनदार को, उस पर सूचना की तारीख से 15 दिन की कालावधि के दौरान, उस सहकारिता पर उसके दायित्वों के उन्मोचन के अध्यधीन रहते हुए अपने हितों को सहकारिता से वापस लेने का विकल्प होगा।

(3) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के बारे में जो इस अधिनियम की धारा 11 की उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, यह समझा जाएगा कि उसने संकल्प पर अपनी सहमति दे दी है।

(4) इस अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि:

(क) उस सहकारिता के उन सदस्यों तथा लेनदारों के, जिन्होंने इस अधिनियम की धारा 11 की उपधारा(2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, समस्त दावे संपूर्ण रूप से पूरे न कर दिए गए हों या अन्यथा उनका समाधान न कर दिया गया हो,

(ख) आशयित विभाजन तथा सदस्यों एवं लेनदारों के, दावों के समझौते के बारे में जानकारी रजिस्ट्रार को न भेज दी गई हो तथा जानकारी प्राप्त होने सम्बन्धी उनकी अभिस्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो, और

(ग) जब तक कि इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी परिणामी सहकारिता की रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित पंजीकृत प्रमाण–पत्र, संगम ज्ञापन व संगम अनुच्छेद की प्रतियां जारी न कर दी गई हों।

(5) जब कोई सहकारिता इस धारा के अन्तर्गत स्वयं को दो या अधिक सहकारिताओं में विभाजित करती है तब ऐसी सहकारिता का पंजीकरण निरस्त हो जाएगा तथा यह समझा जाएगा कि वह सहकारिता विघटित हो गई है तथा वह एक निगमित निकाय के रुप में अस्तित्व में नहीं रहेगी और रजिस्ट्रार, सहकारिताओं के रजिस्टर से ऐसी सहकारिता का नाम हटा देगा।

(6) जब कोई सहाकारिता स्वयं को दो या अधिक सहकारिताओं में विभाजित करती है तब ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसने विभाजन की अनुमति दी हो या जिसके बारे में यह समझा गया हो कि उसने विभाजन की अनुमति दी है, नवीन रूप से विरचित उस सहकारिता का सदस्य बन जाएगा जिसको कि उसके हित, ऐसी सहकारिता की साधारण निकाय द्वारा विभाजन की योजना के अनुसार अंतरित किए गए थे।

(7) जब इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प प्रवृत्त होता है, संकल्प आस्तियों तथा दायित्वों के हस्तांतरी में न्यागत होने के लिए बिना किसी और आश्वासन के पर्याप्त सूचना होगा।

समामेलन

12. (1) कोई भी दो या उससे अधिक सहकारिताएं विशेष संकल्पों द्वारा स्वयं को समामेलित कर नई सहकारिता बनाने का विनिश्चय कर सकेंगी।

(2) जहाँ इस धारा की उपधारा (1) के अधीन विशेष संकल्प पारित किया जाता है वहाँप्रत्येक सहकारिता, संगम अनुच्छेद के उपबन्धों या संविदा में किसी विपरीत बात के रहते हुए भी, उसके द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति के साथ उसकी सूचना अगले 15 दिन के अन्दर अपने समस्त सदस्यों तथा लेनदारों को तथा उन सदस्यों से भिन्न किसी अन्य सदस्य को देगी जिसने प्रस्तावित समामेलन के पक्ष मे मतदान किया है किसी भी लेनदार को उस पर सूचना की तिथि से 15 दिन की कालावधि के दौरान, उस संबंधित सहकारिता पर उसके दायित्वों के उन्मोचन के अध्यधीन रहते हुए, अपने हितों को सहकारिता से वापस लेने का विकल्प होगा।

(3) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के बारे में जो इस धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर विकल्प का प्रयोग करने मे विफल रहता है, यह समझा जाएगा कि उसने समामेलन की अनुमति दे दी है।

(4) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि–

(क) ऐसी प्रत्येक सहकारिता में उन सदस्यों तथा लेनदारों के जिन्होंने इस धारा की उपधारा (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, सम्पूर्ण दावे पूर्णतः पूरे न कर दिए गए हों या अन्यथा उनका समाधान न कर दिया गया हो;

(ख) आशयित समामेलन तथा सदस्यों और लेनदारों के दावों के समझौतों के बारे में जानकारी रजिस्ट्रार को न भेज दी गई हो तथा उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो; और

(ग) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र तथा रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित ऐसी सहकारिता की जो समामेलन के परिणामस्वरूप बनाई जाए, इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जारी न कर दी गई हो।

(5) जब इस धारा के अधीन दो या अधिक सहकारिताऐं स्वयं का समामेलन कर किसी नई सहकारिता का गठन करती हैं तब इस प्रकार समामेलित की गई सहकारिताओं का पंजीकरण निरस्त हो जाएगा और उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उनका विघटन हो गया है और वे निगमित निकायों के रुप में अस्तित्व में नहीं रहेंगी और रजिस्ट्रार इस प्रकार समामेलित की गई सहकारिताओं के नाम सहकारिताओं के रजिस्टर से हटा देगा।

(6) जब दो या अधिक सहकारिताएं इस धारा के अधीन स्वयं का किसी नई सहकारिता में समामेलन करती हैं, तब ऐसी सहकारिताओं के समस्त सदस्य, जिन्होंने समामेलन की अनुमति दी है या जिनके बारे में यह समझा गया है कि उन्होंने समामेलन की अनुमति दे दी है, नई सहकारिता के सदस्य बन गए समझे जाएंगे।

(7) जब इस धारा की उपधारा(1) के अधीन पारित विशेष संकल्प प्रदत्त होता है, संकल्प, आस्तियों एवं दायित्वों के हस्तांतरी में न्यागत होने के लिए, बिना किसी और आश्वासन के पर्याप्त सूचना होगा।

संविलयन

13.(1) कोई सहकारिता, विशेष संकल्प द्वारा, किसी ऐसी अन्य सहकारिता से जो विशेष संकल्प द्वारा ऐसे संविलयन के लिए सहमत हो, स्वंय को संविलयित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(2) जहां इस धारा की उपधारा(1) के अधीन विशेष संकल्प पारित किया जाता है, वहां प्रत्येक सहकारिता, संगम अनुच्छेद के उपबंधों या संविदा में कोई विपरीत बात के रहते हुए भी उसके द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति के साथ उसकी सूचना अपने समस्त सदस्यों तथा लेनदारों को, तथा उन सदस्यों से भिन्न किसी अन्य सदस्य को जिसने प्रस्तावित संविलयन के पक्ष में मतदान किया है, अगले 15 दिन के भीतर देगी तथा किसी भी लेनदार को, उस पर सूचना की तिथि से 15 दिन की कालावधि के दौरान, उस सहकारिता पर उसके दायित्वों के उन्मोचन के अध्यधीन रहते हुए अपने हितों को सहकारिता से वापस लेने का विकल्प होगा।

(3) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के बारे में जो इस धारा की उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, यह समझा जाएगा कि उसने संविलयन की अपनी सहमति दे दी है।

(4) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि–

(क) उस सहकारिता के उन सदस्यों तथा लेनदारो के, जिन्होंने इस धारा की उपधारा (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, समस्त दावे संपूर्ण रूप से पूरे न कर दिए गए हों या अन्यथा उनका समाधान न कर दिया गया हो;

(ख) आशयित संविलयन तथा सदस्यों एवं लेनदारों के, दावों के समझौते के बारे में जानकारी रजिस्ट्रार को न भेज दी गई हो तथा जानकारी प्राप्त होने बाबत उनकी अभिस्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

(5) जब कोई सहकारिता स्वयं को दो या अधिक सहकारिताओं में संविलयन करती है तब ऐसी सहकारिता का पंजीकरण निरस्त हो जाएगा तथा यह समझा जाएगा कि वह सहकारिता विघटित हो गई है तथा वह एक निगमित निकाय के रुप में

अस्तित्व में नहीं रहेगी और रजिस्ट्रार, सहकारिताओं के रजिस्टर से ऐसी सहकारिता का नाम हटा देगा।

(6) जब कोई सहकारिता स्वयं को किसी अन्य सहकारिता में संविलयन करती है तब प्रथम सहकारिता के सदस्य स्वतः ही द्वितीय सहकारिता के सदस्य मान लिये जायेंगे।

(7) जब इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प प्रदत्त होता है, संकल्प आस्तियों तथा दायित्वों के हस्तांतरी में न्यागत होने के लिए बिना किसी और आश्वासन के पर्याप्त सूचना होगा।

सेवाओं के लिए शुल्क

14.(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत सहकारिता के रूप में पंजीकरण हेतु प्रस्तावित सहकारिता के पंजीकरण ज्ञापन के साथ न्यूनतम पांच सौ रुपये तथा अधिकतम दस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रस्तावित सहकारिता की प्राधिकृत साम्यपूंजी के एक प्रतिशत के बराबर पंजीकरण शुल्क के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा :

परन्तु ऐसी सहकारिता के मामले में जो कोई साम्य पूंजी नहीं रखना चाहती, फीस पांच सौ रुपए होगी।

(2) सहकारिताओं और अन्यों द्वारा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा की गई सेवाओं के लिए सरकार शुल्क निश्चित कर सकेगी और रजिस्ट्रार को अवगत करायेगी जो इसके बदले में ऐसी सूचना को इच्छुक व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा:

परन्तु किसी सेवा के लिए देय शुल्क मे कोई परिवर्तन सरकार द्वारा प्रस्तावित सहकारिताओं की टिप्पणी आमंत्रित करते हुए ऐसे परिवर्तन को दो स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित करके अथवा स्थानीय इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित करवाकर ही किया जा सकेगा।

अध्याय–3

सदस्यता

किसी सहकारिता में सदस्यता के लिए पात्रता

15.(1) कोई व्यक्ति जिसे सहकारिता की सेवाओं की आवश्यकता है जो सदस्यता के दायित्वों को स्वीकार करने की स्वीकृति व्यक्त करता है, सहकारिता के संगम अनुच्छेद में यथा निर्दिष्ट ऐसी अन्य शर्तों को पूरी करता है तथा सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में है, सदस्यता के लिए आवेदन कर सकेगा और सदस्य बनाया जा सकेगा :

परन्तुक यह है कि सहकारिता आवेदक को सेवाएं देने की स्थिति में है।

(2) सदस्यता के लिए प्रत्येक आवेदक तथा सहकारिता का प्रत्येक सदस्य ऐसी प्रत्येक सहकारिता को, जिसका कि वह सदस्य है, अन्य सहकारिताओं में अपनी सदस्यता की सूचना देगा तथा अन्य के अलावा विरोधी अथवा दोहरी सदस्यता की दशा में सहकारिता ऐसे व्यक्ति की सदस्यता को वैधानिक रुप से अस्वीकार कर सकेगी या उसे सदस्यता से हटा सकेगी।

सदस्य का प्रवेश

16.(1) केवल चुने गए बोर्ड द्वारा, संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट प्रकिया के अनुसार ही सदस्यता प्रदान की जा सकेगी।

(2) जहां प्रवेश अस्वीकार किया जाए वहां ऐसे आवेदक को विनिश्चय के कारणों सहित ऐसी सूचना विनिश्चय की तिथि से 15 दिन के अन्दर अथवा आवेदन प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अन्दर जो भी पहले हो, पंजीकृत डाक द्वारा संसूचित की जाएगी।

(3) जहां बोर्ड द्वारा किसी आवेदक का प्रवेश अस्वीकार किया गया है या आवेदक को बोर्ड से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है वहां आवेदक माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष आवेदन को पुनर्विलोकन करने हेतु बोर्ड से अनुरोध कर सकेगा। बोर्ड आवेदन को माध्यस्थम् अधिकरण की अगली बैठक में रखेगा और माध्यस्थम् अधिकरण

का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तुक यह है कि आवेदक को माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

सदस्यता वापस लेना

17.(1) सहकारिता की संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट प्रकिया के अनुसार कोई भी सदस्य किसी भी समय सहकारिता की सदस्यता वापस ले सकेगा।

(2) सदस्यता वापस लेने पर भी किसी व्यक्ति से उन बाध्यताओं की पूर्ति की अपेक्षा की जाएगी जिनका कि भार संगम अनुच्छेद या किसी करार के उपबन्धों के अधीन उसने सदस्य के रूप में अपने ऊपर लिया था अथवा ग्रहण किया था।

सदस्यता की समाप्ति

18.(1) यदि सहकारिता के सदस्य के रूप में प्रवेश पाने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता के कारण अनर्ह हो जाए तो वह सहकारिता का सदस्य नहीं रह जाएगा।

(2) सदस्य की मृत्यु की दशा में प्रत्येक सहकारिता, सदस्य के नामनिर्देशिती को इसकी सूचना देगी तथा प्रत्येक अन्य स्थिति में सदस्यता समाप्त होने के और उसकी परिणामी स्थितियों की सूचना सदस्यों को देगी।

सदस्यता का समाप्त करना

19.(1) किसी भी सहकारिता का बोर्ड किसी भी ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकेगा जिसने सहकारिता के संगम अनुच्छेद, साधारण निकाय या बोर्ड की नीतियों अथवा सहकारिता के साथ की गई संविदाओं के उल्लंघन सहित सहकारिता के उद्देश्यों एवं हितों के प्रतिकूल रूप से कार्य किया हो :

परन्तुक यह है कि सदस्य को बोर्ड के समक्ष सदस्यता समाप्त न किए जाने के लिए अध्यावेदन करने का समुचित अवसर दिया गया हो।

(2) जहां बोर्ड द्वारा किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी गई हो वहां वह व्यक्ति बोर्ड से उसके विनिश्चय को माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष पुनर्विचार हेतु रखने का अनुरोध कर सकेगा। बोर्ड मामले को माध्यस्थम् अधिकरण की अगली बैठक में रखेगा और माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु शर्त यह होगी कि माध्यस्थम् अधिकरण के विनिश्चय के लंबित रहने तक वह व्यक्ति सहकारिता के साथ केवल ऐसे लेन देन, यदि कोई हो, कर सकेगा जिसकी कि अनुमति बोर्ड द्वारा दी जाए।

सदस्यों का रजिस्टर

20.(1) प्रत्येक सहकारिता सदस्यों का एक रजिस्टर संकलित करेगी। ऐसी अन्य विशिष्टयों के साथ–साथ जैसा कि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए, सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का नाम, प्रवेश की तारीख और सदस्य का पता रजिस्टर से प्रविष्ट किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसकी सदस्यता समाप्त हो गई है या समाप्त कर दी गई थी या वापस ले ली गई थी, रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

सहकारिता शिक्षा

21.(1) प्रत्येक सहकारिता प्रतिवर्ष अपने बजट में सहकारिता के सिद्धान्तों और सहकारिता की पद्धतियों के अनुसार अपनी सहकारिता के विकास के लिए सदस्य और सम्भावी सदस्य की शिक्षा और कर्मचारीबृन्द और बोर्ड के प्रशिक्षण हेतु व्यय के उपबन्ध का समावेश कर सकेगी।

(2) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन उपबंधित बजट शीर्ष की कोई अतिशेष राशि वर्ष के अन्त में सहकारी शिक्षा निधि में ले जाई जाएगी और सहकारिता के सिद्धान्तों एवं सहकारिता की पद्धतियों के अनुसार, सदस्यों, संभावी सदस्यों, कर्मचारीबृन्द और निदेशकों को शिक्षित तथा प्रशिक्षित करने के प्रयोजन के लिए ही इसका उपयोग किया जाएगा।

सेवाऐं मूल रुप से सदस्यों के लिए

22.(1) किसी सहकारिता की सेवाऐं, सामान्यतया, केवल उसके सदस्यों को ही उपलब्ध होंगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत होने के दो वर्ष बाद यदि यह पाया जाता है कि कोई सहकारिता किसी वित्तीय वर्ष में इसके संगम अनुच्छेद में यथाविनिर्दिष्ट लेन देन के मूल्यों के संदर्भ में, अपनी एवं चौथाई से अधिक अभ्यंतर सेवाएं गैर

सदस्यों को प्रदान करती है तो उसे "अपगामी सहकारिता" माना जाएगा और वह उस वर्ष के लिए इस नियम अथवा अन्य नियमों के द्वारा एक सहकारिता होने के आधार पर प्रदान किए जाने वाली छूटों से वंचित हो सकेगी।

(3) यदि कोई सहकारिता लगातार 3 वर्षों तक 'अपगामी' पायी जाती है तो रजिस्ट्रार द्वारा उसका निगमन समाप्त कर दिया जाएगा अथवा उसे भंग कर दिया जाएगा :

परन्तुक यह है कि ऐसी सहकारिता को निगमन समाप्त करने, अथवा उसे विघटित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया गया हो।

अधिकारों का प्रयोग

23.(1) किसी सहकारिता का कोई सदस्य, सदस्य के अधिकारों का, जिसमे मत का अधिकार भी शामिल है, तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में सहकारिता को ऐसा संदाय न कर दिया हो या जब तक कि उसने सहकारिता में ऐसा हित निरंतर न रखा हो तथा अर्जित न कर लिया हो जैसा कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मुख्य कार्य पालक पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति से बीस दिन के अन्दर एक सूची तैयार करेगा जिसमें मत का अधिकार रखने वाले सदस्य होंगे, तथा एक ऐसी सूची तैयार करेगा जिसमें मत का अधिकार न रखने वाले सदस्य होगें, जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए विधि मान्य होगी। समस्त सदस्यों की जानकारी के लिए सहकारिता के सूचना पटल पर सूचियां चस्पा की जाएंगी तथा ऐसा कोई सदस्य, जो सूचियों में सदस्यों के समावेश अथवा असमावेश के विशिष्ट उदाहरण से संतुष्ट नहीं है, सूचना पटल पर सूचियों के चस्पा किए जाने की तिथि से 10 दिन के अन्दर, बोर्ड को, अभिलेख का पुनः परीक्षण करने के लिए अपील कर सकेगा तथा बोर्ड, पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पैंतालिस दिन के अन्दर सूचियों का पुनरावलोकन करेगा, उन्हें अंतिम रूप देगा तथा सहकारिता के सूचना पटल पर चस्पा करेगा।

सदस्यों का मताधिकार

24.(1) प्रारम्भिक सहकारिताओं में प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति मत देने के लिए पात्र बनने के पूर्व कम से कम एक पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए सदस्य रह चुका हो :

परन्तु यह और कि एक वर्ष की सदस्यता की शर्त उस सदस्य पर लागू नहीं होगी जो सहकारिता के पंजीकरण /संपरिवर्तन के समय या पंजीकरण / संपरिवर्तन के पश्चात् किसी भी समय किन्तु प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व सदस्य बनते हैं।

(2) सहायक सहकारिताओं में उनके संगम अनुच्छेद द्वारा प्रारम्भिक सहकारिताओं को उनके सदस्यों के अनुपात में मत देने के अधिकार का प्राविधान किया जा सकेगा।

सदस्यों का दायित्व

25.(1) कोई सहकारिता सीमित दायित्व सहित पंजीकृत की जायेगी जहां, "सीमित दायित्व वाली सहकारिता" से अभिप्रेत है ऐसी सहकारिता जिसमें उसके सदस्यों का दायित्व, सहकारिता के ऋणों हेतु इसके संगम अनुच्छेद द्वारा उस रूप में तथा ऐसी सीमा तक सीमित है जैसा कि उसका समापन हो जाने की दशा में, सहकारिता की आस्तियों में किसी घाटे के लिए अभिदाय करने हेतु वे वचन देते हैं।

(2) जहां कोई सहकारिता उसके सदस्यों में दायित्व के प्रकार और उसकी सीमा में परिवर्तन करने के लिए उसके संगम अनुच्छेद में संशोधन करती है वहां वह ऐसे संशोधन की तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर संशोधन की एक प्रति के साथ उसकी सूचना अपने सदस्यों, लेनदारों और संगम अनुच्छेद एवं संविदा के उपबंधों में किसी विपरीत बात के होते हुए भी उन सदस्यों से भिन्न ऐसे सदस्य को देगी जिसने दायित्वों के प्रस्तावित परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया है एवम् किसी लेनदार को उसे सूचना की तिथि से 15 दिन की कालावधि के दौरान, सहकारिता के प्रति अपने दायित्वों के उन्मोचन के अधीन रहते हुए अपने हितों को सहकारिता से वापस लेने का विकल्प होगा।

(3) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के बारे में जो इस धारा की उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, यह समझा जाएगा कि उसने दायित्वों के परिवर्तन की अनुमति दे दी है।

(4) इस धारा की उपधारा (2) के अधीन पारित कोई भी संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि–

(क) सहकारिता के उन सदस्यों तथा लेनदारों के, जिन्होंने इस धारा की उपधारा (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, समस्त दावे संपूर्ण रूप से पूरे न कर दिए गए हों या अन्यथा उनका समाधान न कर दिया गया हो;

(ख) इस अधिनियम के अधीन सहकारिता के संगम अनुच्छेद में संशोधन की सूचना रजिस्ट्रार को प्राप्त न हो गई हो।

(5) जहां किसी सहकारिता के विघटित किए जाने का आदेश दिया जाए, वहां किसी भूतपूर्व सदस्य का, जो कि विघटन की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती 2 वर्षों के अन्दर सदस्य न रह गया हो या किसी मृत सदस्य की, जो कि परिसमापन के आदेश की तिथि के ठीक पूर्ववर्ती 2 वर्ष के अन्दर मर गया हो, सम्पदा का दायित्व तब तक बना रहेगा जब तक कि सम्पूर्ण समापन की उक्त कार्यवाहियां पूर्ण न हो जाएँ परन्तु ऐसा दायित्व सहकारिता के उन ऋणों तक ही सीमित रहेगा जो कि उस तिथि को हो, जिसको कि वह सदस्य न रह गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो।

(6) इस धारा की उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी सदस्य अथवा मृतक सदस्य की सम्पदा का सहकारिता के विद्यमान ऋणों के लिए दायित्व जो कि–

(क) किसी भूतपूर्व सदस्य के मामले में उस तिथि को जिसको कि वह सदस्य न रह गया हो; और

(ख) किसी मृत सदस्य के मामले में उसकी मृत्यु की तिथि को हो; ऐसी तिथि से 2 वर्ष की कालावधि तक बना रहेगा।

साधारण निकाय

26. (1) प्रत्येक सहकारिता का एक साधारण निकाय होगा जिसमें इस सहकारिता के सभी सदस्य सम्मिलित होंगे।

(2) इस अधिनियम तथा संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए किसी सहकारिता की अंतिम शक्ति उसके सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होगी :

परन्तु शर्त यह होगी कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात सहकारिता के बोर्ड अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, इस अधिनियम के माध्यम से ऐसे बोर्ड अथवा सहकारिता को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

(3) निगमित निकाय के रुप में किसी सहकारिता के क्षेत्र के अन्दर आने वाले किसी कृत्य या उत्तरदायित्व के संबंध में, जो इस अधिनियम या संगम अनुच्छेद द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से किसी सहकारिता के किसी प्राधिकारी को विशेष रूप से न्यस्त नहीं की गई है, कर्मचारी बोर्ड के निर्देश पर साधारण निकाय द्वारा की जाएंगी।

साधारण निकाय के कार्य और उत्तरदायित्व

27. (1) साधारण निकाय द्वारा अपने वार्षिक साधारण निकाय सभा में ऐसे अन्य विषयों के साथ, जो बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाए, निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जाएगा :–

(क) पिछले सभा के संकल्पों पर कार्यवाही;

(ख) दीर्घकालीन योजनाओं व बजट पर विचार, जब अपेक्षित हो;

(ग) वार्षिक कार्यकारी योजना और चालू वित्तीय वर्ष के बजट पर विचार, ;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति;

(ङ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार ;

(च) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार;

(छ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित अनुमोदित बजट से विचलन, यदि कोई हो, और की जाने वाली समुचित कार्यवाही;

(ज) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के आधिक्य का निपटारा, यदि कोई हो;
(झ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के घाटे का प्रबंधन, यदि कोई हो;
(ञ) विशिष्ट आरक्षित एवं अन्य निधियों का सृजन;
(ट) आरक्षित एवं अन्य निधियों के वास्तविक उपयोग की समीक्षा;
(ठ) सभाओं में उपस्थिति पर निदेशकों द्वारा दी गई रिपोर्ट की समीक्षा;
(ड) सहकारिता सेवाओं के उपयोग की निदेशकों द्वारा समीक्षा;
(ढ) किसी निदेशक या किसी समिति के किसी सदस्य या आंतरिक लेखापरीक्षक को उस हैसियत में उसके कर्त्तव्यों के संबंध में या संबंधित सभा में उसकी उपस्थिति के लिए दिए गए पारिश्रमिक की समीक्षा;
(ण) गैर सदस्यों के मुकाबले में सदस्यों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं की मात्रा और प्रतिशत की समीक्षा;
(त) ऐसा आवेदक जिसका सदस्यता आवेदन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया हो, की अपील;
(थ) बोर्ड द्वारा सदस्यता से निकाले गए किसी व्यक्ति की अपील;
(द) सदस्य शिक्षा तथा बोर्ड और कर्मचारीबृन्द के प्रशिक्षण से संबंधित कार्यकलापों एवं लेखाओं की रिपोर्ट।

(2) बोर्ड द्वारा जब निम्नलिखित और अन्य मामले आवश्यक समझे जाएंगे तो साधारण निकाय को वार्षिक सभा या अन्य सभाओं में उन पर कार्यवाही की जाएगी :–
(क) निदेशकों का चुनाव;
(ख) संगम अनुच्छेद में संशोधन;
(ग) निदेशकों को हटाया जाना;
(घ) बोर्ड की असामयिक रिक्तियों पर चुनाव/नियुक्ति;
(ड.) लेखा परीक्षकों का हटाया जाना और परिणामी नियुक्ति;
(च) सहायक सहकारिताओं में सहकारिता की सदस्यता;
(छ) अन्य सहकारिताओं के साथ भागीदारी;
(ज) आस्तियों एवं दायित्वों का समामेलन, विभाजन, संविलयन और अंतरण;
(झ) सहकारिता का विघटन;
(ञ) रजिस्ट्रार की जांच रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार।

साधारण सभा

28.(1) बोर्ड किसी भी समय सहकारिता के सदस्यों की साधारण सभा बुला सकेगा :

परन्तु वार्षिक साधारण सभा के रूप में ज्ञात एक ऐसी सभा, उसमें विनिर्दिष्ट मामलों पर कार्यवाही हेतु सहकारिता के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक सौ पचास दिन के अन्दर बुलायी जायेगी।

(2) बोर्ड निम्नलिखित से अध्यपेक्षा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर एक विशेष साधारण सभा बुलाएगाः–
(क) मत देने का अधिकार रखने वाले कुल सदस्यों के 1/5 सदस्यों, अथवा 500 सदस्य, जो भी कम हो, अथवा
(ख) रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के अनुसरण में :

परन्तु ऐसी अपेक्षा में वे कारण निहित होंगे जिनके लिए सभा आवश्यक समझी गयी है तथा प्रस्तावित कार्यसूची में शामिल विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर विशेष साधारण सभा में विचार नहीं किया जाएगा।

(3) ऐसी कालावधि की समाप्ति पर जिसके दौरान इस धारा की उपधारा(1) के अधीन वार्षिक साधारण सभा अथवा इस धारा की उपधारा(2) के अधीन विशेष साधारण सभा होनी आवश्यक हैं और यदि बोर्ड विनिर्दिष्ट कालावधि में ऐसी सभा बुलाने में असफल रहता है तो समस्त निदेशक अपने पद पर नहीं रहेंगे।

(4) समस्त निदेशक वार्षिक साधारण सभा की तिथि को निदेशक के रूप में पद पर नहीं रहेंगे यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी और लेखा

परीक्षा की टिप्पणियां, यदि कोई हों, पूर्ववर्ती वर्ष के कार्य कलाप की रिपोर्ट के साथ सदस्यों को उस सभा में उपस्थित होने की सूचना के साथ उपलब्ध नहीं करा दी जाती जिसमें कि लेखा रिपोर्ट पर साधारण निकाय द्वारा विचार किया जाना हो और ऐसी साधारण सभा माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा, बोर्ड अथवा माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्यों को छोड़कर, नियुक्त अध्यक्ष द्वारा संचालित की जायेगी।

(5) साधारण सभा के लिए गणपूर्ति संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किये गए प्रावधानों के अनुसार होगी परन्तु सभा में मतदान के लिए पात्र सदस्यों के पांचवे हिस्से से कम नहीं होगी।

साधारण सभा का कार्यवृत्त

29.(1) प्रत्येक सहकारिता संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट भाषा में, कार्यवृत्त पुस्तिका में, प्रत्येक साधारण सभा की कार्यवाही का कार्यवृत्त तैयार करेगी और मुख्य कार्यपालक ऐसे प्रत्येक सभा की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर कार्यवृत्त सभी सदस्यों को भेजेगा।

(2) इस प्रकार से रिकार्ड किया गया कार्यवृत्त उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और अपेक्षित समय में अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने की असमर्थता की स्थिति में, बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

अध्याय–4

प्रबन्धन

निदेशक बोर्ड

30. संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार गठित और सहकारिता के कार्यों के निदेशन से न्यस्त प्रत्येक सहकारिता के लिए एक चुना गया निदेशक बोर्ड होगा :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत सहकारिता के मामले में, सहकारिता के पंजीकरण के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति सहकारिता के कार्यकलापों को निर्देशित करने तथा इसमे संदर्भित कालावधि में निदेशकों का चुनाव कराने के लिए पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिए प्रवर्तक बोर्ड नियुक्त कर सकेंगे तथा इस परन्तुक के अधीन नियुक्त प्रवर्तक बोर्ड, संगम अनुच्छेद के अनुसार नियमित बोर्ड का गठन होते ही कार्यकाल समाप्त कर देगा :

परन्तु यह और कि मूलरूप से सहकारी समिति अधिनियम के अधीन तथा उसके बाद में इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत की गई किसी सहकारी समिति तथा उसके बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के मामले में, जिनकी इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण के समय अवधि समाप्त नहीं हुई थी, पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिए सहकारिता के कार्यों के निर्देशन एवं निदेशकों का चुनाव इसमें संदर्भित कालावधि के अन्दर कराने हेतु, उसे प्रवर्तक बोर्ड माना जाएगा और परन्तुक के अधीन यदि नामित बोर्ड संगम अनुच्छेद के अनुसार नियमित बोर्ड का गठन होते ही काम करना बन्द कर देगा।

बोर्ड के कृत्य एवं उत्तरदायित्व

31.(1) बोर्ड संगम अनुच्छेद में यथानिर्धारित शर्तों एवं प्रकिया के अनुसार कृत्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा :

परन्तु बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य एवं दायित्व होंगे :–

(क) संगठनात्मक उद्देश्यों की व्याख्या करना, ऐसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और प्रकार्यों का नियतकालिक मूल्यांकन करना;

(ख) पदाधिकारियों का चुनाव करना एवं उन्हें पद से हटाना;

(ग) मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति करना एवं पद से हटाना;

(घ) सहकारिता के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनमान, भत्ते और अनुशासनिक कार्यवाही सहित अन्य सेवा शर्तों के लिए विनियम बनाना;

(ड.) दीर्घकालीन स्वरूप की योजना, वार्षिक योजना और बजट को अंतिम रूप देना तथा साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित योजना और बजट के अनुसार सहकारिता के कार्य कलापों को निदेशित करना;

(च) निधियों की व्यवस्था करना;
(छ) अचल संपत्ति के अर्जन तथा व्ययन के लिए प्राधिकृत करना; और
(ज) सेवाओं, निधियों, लेखाओं तथा लेखादेयता और सूचना तथा वृत्तलेखन पद्धति से संबंधित विनियमों की विरचना करना, अनुमोदित करना तथा संशोधित करना।

(2) सहकारिता का प्रत्येक निदेशक कार्यों को करते हुए, दायित्वों का निर्वहन करते हुए और शक्तियों का प्रयोग करते हुए–
(क) ईमानदारी से, सद्विश्वास के साथ और सहकारिता के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा; और
(ख) ऐसी अपेक्षित सावधानी, कर्मठता एवं कुशलता का व्यवहार करेगा जैसी कि ऐसी ही परिस्थितियों में कोई पर्याप्त दूरदर्शी व्यक्ति करता।

(3) ऐसा कोई निदेशक जिसे ऐसे दुर्विनियोग, विश्वास भंग करने अथवा किसी अन्य चूक या कृत्य का दोषी पाया गया हो, जिसके फलस्वरूप सहकारिता को राजस्व की हानि हुई हो या उसमें कमी आई हो, ऐसी किसी अपराधिक कार्यवाही पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले जो कानून के अधीन उस पर की जानी हो, राजस्व की उस हानि अथवा कमी के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

सहकारिता में निदेशकों के लिए पात्रता

32. ऐसी अन्य शर्तों के अतिरिक्त जैसी कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकारिता का कोई सदस्य सहकारिता के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र होगा यदि–
(1) ऐसे सदस्य को सहकारिता के कार्यकलापों में मत देने का अधिकार है; और
(2) ऐसे सदस्य ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा रीति में सहकारिता की सेवा को प्रोत्साहन दिया है; और
(3) ऐसे सदस्य का सहकारिता के साथ की गई किसी अस्तित्वशील संविदा में या उसके लिए किए जा रहे किसी कार्य में, संगम अनुच्छेद में अन्यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय कोई हित नहीं है; और
(4) उस तिथि से जिससे ऐसा सदस्य निम्नलिखित कारणों से निदेशक नहीं रह गया हो, तीन वर्ष की कालावधि बीत गई हो–
(क) साधारण सभा का आयोजन न करना;
(ख) बोर्ड का चुनाव न करना;
(ग) साधारण निकाय को कार्य कलापों की रिपोर्ट, लेखाओं का लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और / अथवा लेखापरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत न की गई हो; अथवा
(घ) बोर्ड की सभा से अनुपस्थिति।

चुनाव

33. (1) बोर्ड के निदेशको का चुनाव कराना सहकारिता के बोर्ड का दायित्व होगा।
(2) चुनाव, संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट रीति से कराए जाएंगे, चुनाव पद छोड़ने वाले निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व कराए जाएंगे।
(3) बोर्ड के सभी निदेशक ऐसे समय से निदेशक के पद पर नहीं रह जाएंगे जब से संगम अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित चुनाव कराने के लिए कोई कार्य शुरु नहीं किया गया हो या पूरा नहीं किया गया हो और बोर्ड ने संगम अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित प्रकिया जारी रखने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम न उठाए हों।
(4) सामान्यतया निदेशकों का चुनाव वार्षिक साधारण सभा के दौरान होगा।
(5) जहां बोर्ड निदेशकों की पदावधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव कराने में असफल रहता है या जहां चुनाव प्रक्रिया के किसी चरण में चुनाव प्रक्रिया रोक दी जाती है या निलंबित कर दी जाती है और बोर्ड ने उपचारात्मक उपाय शुरू नहीं किए है या जहां बोर्ड में कोई निदेशक नहीं बचे हैं, वहां माध्यस्थम् अधिकरण संगम अनुच्छेद में यथानिर्धारित सीमा में एवं रीति से उन सदस्यों में से जो माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्य नहीं हैं या निवर्तमान होने वाले बोर्ड के सदस्य नहीं हैं और

जो शुरु किए गए चुनाव में प्रत्याशी होने का इरादा नहीं रखते, चुनाव कराने के विशिष्ट उद्देश्य हेतु तथा संगम अनुच्छेद में निर्धारित प्रकार्यों के अलावा अन्तराशासन के दौरान बोर्ड के समस्त प्रकार्यों को सम्पन्न कराने के लिए तीन सदस्यों का एक बोर्ड नियुक्त करायेंगे।

(6) इस प्रकार गठित किए गए ऐसे तदर्थ बोर्ड की पदावधि तीन मास से अधिक नहीं होगी और जैसे ही संगम अनुच्छेद के अनुसार नियमित बोर्ड का गठन हो जाता है, तदर्थ बोर्ड कार्य करना समाप्त कर देगा।

(7) निदेशक ऐसी पदावधि के लिए पदधारण करेंगे जिसके लिए वे चुने गए थे और नवनिर्वाचित निदेशक उक्त कालावधि समाप्त होने की तिथि को पदग्रहण करेंगे।

(8) यदि संगम अनुच्छेद में ऐसा विनिर्दिष्ट है तो निदेशक पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(9) जहां बोर्ड में निदेशकों के पद रिक्त हैं और जहां गणपूर्ति है शेष निदेशक बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे या संबंधित अवशेष पदावधि के लिए सहयोजन द्वारा रिक्त पदों को भर सकेंगे।

(10) जहां बोर्ड पद रिक्त हैं और जहां बोर्ड की सभा के लिए गणपूर्ति हेतु निदेशकों की पर्याप्त संख्या नहीं है, माध्यस्थम् अधिकरण रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशकों का चुनाव करने हेतु साधारण सभा बुला सकेगा।

निदेशकों की पदावधि

34. जहां संगम अनुच्छेद में सभी निदेशकों की एक साथ सेवानिवृत्ति का प्रावधान है और जहां सभी निदेशकों की चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति का प्रावधान है वहां निदेशकों की वैयक्तिक पदावधि ऐसी कालावधि के लिए होगी जैसा कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किया गया है, जो संगम अनुच्छेद में यथाविनिर्दिष्ट पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए होगा।

बोर्ड की सभा

35. (1) किसी सहकारिता का अध्यक्ष निदेशक बोर्ड की सभा किसी भी समय बुला सकेगा :

परन्तु एक सहकारिता वर्ष मे कम से कम बोर्ड की चार सभायें आयोजित होंगी और किन्हीं दो कमवर्ती सभाओं के बीच की कालावधि एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी।

(2) निम्नलिखित द्वारा अधियाचन किए जाने पर अध्यक्ष अधियाचन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित करेगा; या

(क) बोर्ड के कम से कम एक तिहाई निदेशकों से; या

(ख) लेखापरीक्षक से :

परन्तु ऐसे किसी भी अधियाचन में वे कारण निहित होंगे जिनसे सभा आवश्यक समझी गयी हो और प्रस्तावित कार्यसूची तथा उसमें शामिल विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर बोर्ड की विशेष सभा में विचार–विमर्श नहीं किया जाएगा।

(3) यदि अध्यक्ष उस कालावधि के समाप्त होने तक जिसके अन्दर संगम अनुच्छेद, अथवा इस धारा की उपधारा(1) अथवा (2) के अधीन बोर्ड की सभा आयोजित होनी हो, बोर्ड की ऐसी सभा अयोजित विनिर्दिष्ट कालावधि में कराने में असमर्थ रहता है तो वह उस कालावधि के समाप्त होने की तिथि पर अध्यक्ष नहीं रहेगा।

(4) कोई व्यक्ति जो इस धारा की उपधारा(3) के अधीन अध्यक्ष नहीं रह जाता है, अध्यक्ष नहीं रह जाने की ऐसी तिथि से छः वर्ष की कालावधि के लिए अध्यक्ष का पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।

(5) बोर्ड की सभा के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जैसी कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट होगी परन्तु बोर्ड के निदेशकों की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी।

(6) बोर्ड की सभा आहूत करने तथा संचालित करने की प्रकिया वही होगी जैसी कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट की जाए।

(7) यदि कोई निदेशक जानबूझकर बोर्ड के लगातार तीन सभाओं में उपस्थित नहीं होता है तो वह तृतीय सभा की तिथि से निदेशक नहीं रहेगा।

बोर्ड की सभा का कार्यवृत्त

36.(1) प्रत्येक सहकारिता, अपनी कार्यवृत्त पुस्तिका में, संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट भाषा में बोर्ड की प्रत्येक सभा का कार्यवृत्त रखेगी और प्रमुख कार्य पालक ऐसी प्रत्येक सभा की समाप्ति के सात दिन के अन्दर कार्यवृत्त की प्रति सभी निदेशकों को भेजेगा।

(2) इस प्रकार से अभिलिखित कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति या उस अगामी सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति करेगा जिसमें कि कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

अध्याय–5
वित्त

निधियों का जुटाया जाना

37.(1) कोई सहकारिता, अपने सदस्यों से उस रूप में, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन जैसी कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट की जाएं, साम्यपूंजी, निक्षेप, अनुदान और उधार सहित निधियां जुटा सकेगी।

(2) कोई सहकारिता आपसी सहमति की शर्तों पर उस सीमा तक तथा संगम अनुच्छेद में वर्णित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, व्यक्तियों, बैंको, अन्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय संस्थाओं तथा सरकार सहित गैर सदस्यों से निधियों और गारंटी सहित अंश पूंजी को छोड़कर, अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता ले सकेगी।

निधियों का अभिनियोजन

38.(1) किसी सहकारिता द्वारा जुटाई गई निधियां उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए होगी।

(2) कोई सहकारिता अपनी ऐसी निधियों को जिनकी उसके कारोबार के लिए आवश्यकता न हो, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट किसी भी तरीके से अपने कारोबार से बाहर निवेश कर सकेगी या जमा कर सकेगी।

अधिशेष का निपटारा

39.(1) किसी सहकारिता के किसी वित्तीय वर्ष में कारोबार से उद्भूत होने वाला अधिशेष, यदि कोई हो, निम्नलिखित एक या अधिक रीति के उपयोग में लाया जा सकेगा :–

(क) घाटा सुरक्षित निधि के लिए;

(ख) उसके सदस्यों में अधिशेष वापसी के रुप में वितरित करने के लिए ;

(ग) उसके कारोबार का विकास करने के लिए ;

(घ) संगम अनुच्छेद के अनुसार गठित की गई आरक्षित राशि और निधियों के लिए ;

(ड.) अपने सदस्यों को समान्य सेवा प्रदान करने के लिए ;

(च) कर्मचारीबृन्द को पुरस्कार अथवा प्रोत्साहन देने के लिए ;

(छ) एक अविभाज्य समूह निधि के लिए :

परन्तु गैर सदस्यों को प्रदान की गई सेवाओं से उद्भूद अधिशेष को सदस्यों या कर्मचारीबृन्द में वितरित नहीं किया जाएगा बल्कि समुदाय के लिए सामन्य सेवाओं का प्रावधान करने तथा संम्भावित सदस्यों को सदस्य बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकेगा।

(2) अधिशेष का ऐसे वार्षिक सधारण सभा में पूर्णतया आवंटन किया जाएगा जिसमें अधिशेष प्रोद्भूत हुए हों, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण साधारण निकाय के विचारण के लिए प्रस्तुत किए जाए।

घाटे का प्रबन्धन

40.(1) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सहकारिता के कारोबार से प्रोद्भूत घाटा, यदि कोई हो, घाटा सुरक्षित निधि, यदि कोई हो, या उसके सदस्यों में घाटा प्रभार के रुप में घाटे के एक भाग या संपूर्ण भाग का विकलन करके पूर्णतया समाधान किया जाएगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी भी सहकारिता को, जहां ऐसा घाटा अनुमोदित योजना या बजट से विभाजन का परिणाम है और जहां ऐसे विचलन को साधारण निकाय का अनुमोदन प्राप्त नहीं है या जो कुप्रबन्ध और घोर उपेक्षा का परिणाम है, घाटे में अभिदाय करने के लिए रकम की वसूली हेतु उसके निदेशकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने से नहीं रुकेगी।

परन्तु यह और कि जहां ऐसी रकमें वसूल की जाती है; वहां साधारण निकाय रकम का एक या संपूर्ण भाग घाटा सुरक्षित निधि में या प्रत्येक सदस्य के खाते में उस पर लगाए गए घाटा प्रभार के अनुपात में जमा करने का संकल्प ले सकेगी।

(2) किसी भी सदस्य में सहकारिता की सदस्यता वापस लेने की अनुमति, उसके अंश का घाटे में समाशोधन किए बिना नहीं दी जाएगी।

विशेष निधियों की संक्रिया

41.(1) कोई भी सहकारिता अपने सदस्यों के हित में और अपने के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आरक्षित और ऐसी अन्य निधियों का सृजन कर सकेगी जैसी कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट है या साधारण निकाय द्वारा संकल्पित है।

(2) इस प्रकार से सृजित निधि का उपयोग सहकारिता के कारोबार में किया जाएगा, परन्तु प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्येक निधि के उस भाग पर जो कि उन उद्देश्यों पर नहीं लगाया गया जिनके लिए सृजित किया गया था, तो सहकारिता ऐसी निधि की शेष रकम पर अनुसूचित बैंको तथा दीर्घकालिक सावधि निक्षेप की ब्याज दर पर वार्षिक ब्याज ऐसी निधि के खाते में उसे कार्य व्यय के रूप में विकलित करते हुए जमा करेगी।

प्रथम प्रभार

42. तत्समय प्रवृत्त कानून में किसी अन्य बात के होते हुए भी, लेकिन भू–राजस्व के बारे में सरकार के किसी दावे के अध्यधीन रहते हुए, किसी सहकारिता को किसी सदस्य द्वारा देय कोई भी ऋण या अन्य धनराशि, सदस्य की ऐसी संपत्तियों पर प्रथम प्रभार होगी जैसा कि सहकारिता द्वारा सहमति दी गई हो और जैसा कि सदस्यता ग्रहण करते समय अथवा उसके बाद में सदस्य, संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट रीति से घोषणा करें।

अध्याय–6
लेखादेयता

लेखा, अभिलेख तथा दस्तावेज जिनका रखरखाव किया जाना है

43.(1) प्रत्येक सहकारिता अपने पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित लेखे, अभिलेख तथा दस्तावेज रखेगी :–

(क) इस अधिनियम की, उसमें समय–समय पर किए गए संशोधनों सहित एक प्रति;

(ख) संगम अनुच्छेद एंव उसमें समय–समय पर किए गए संशोधन की एक प्रति;

(ग) कार्यवृत्त पुस्तिका;

(घ) सहकारिता द्वारा प्राप्त की गई तथा व्यय की गई समस्त धनराशि के लेखे और उनके संबंधित प्रयोजन;

(ड.) सहकारिता द्वारा माल के समस्त क्रयों एवं विक्रयों का लेखा;

(च) सहकारिता की आस्तियों एवं दायित्वों का लेखा;

(छ) सदस्यों की सूची पिछले वित्तीय वर्ष के बारे में उनके दायित्वों की पूर्ति, चालू वित्तीय वर्ष की अवधि में उनके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले अधिकारों की पात्रता जो सहकारिता वर्ष की समाप्ति के पैंतालीस दिन के अन्दर अद्यतन की जाएगी; और

(ज) समस्त ऐसे अन्य लेखे, अभिलेख तथा दस्तावेज जैसे कि इस अधिनियम या अन्य विधियों तथा विनिमयों द्वारा अपेक्षित किए जाएं :

परन्तु जहां किसी सहकारिता का शाखा कार्यालय हो वहां ऐसी शाखा में संबंधित लेखे का संक्षिप्त विवरण, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए उस तिमाही की समाप्ति से पन्द्रह दिन के अन्दर पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।

(2) बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक सहकारिता अपनी लेखा तथा अभिलेख पुस्तिकाएं किसी भी निदेशक द्वारा कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखेगी।

(3) प्रत्येक सहकारिता, इस अधिनियम, संगम अनुच्छेद, साधारण निकाय सभा का कार्यवृत्त पुस्तिका, मतदाता सूची तथा सदस्यों से संबंधित लेखे एवं अभिलेख, अपने कार्यालय समय के दौरान, इसके लिए अनुरोध करने वाले किसी भी सदस्य को उपलब्ध कराएगी।

(4) प्रत्येक सहकारिता चालू वित्तीय वर्ष के पूर्व के कम से कम आठ वर्षो की कालावधि से संबंधित पुस्तिकाएं तथा लेखे, उनके समर्थित अभिलेख, वाउचरों सहित सुरक्षित रखेगी।

लेखा परीक्षा

44.(1) कोई सहकारिता अपने लेखाओं को चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 में अभिप्रेत किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से लेखा परीक्षित कराएगी :

परन्तु जहां किसी सहकारिता का व्यापार दस लाख रुपए से कम है, सहकारिता अपने सदस्यों में से अथवा बाहर से संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट योग्यता वाले किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकेगी। (व्याख्या–इस धारा के प्रयोजन हेतु व्यवसाय का आशय बिक्री की कीमत, प्रदत्त सेवाओं और/अथवा वसूल किए गए ऋण से होगा)

(2) कोई सहकारिता अपनी वार्षिक साधारण सभा में लेखा परीक्षक को नियुक्त करेगी। यह नियुक्ति केवल आगामी वार्षिक साधारण सभा तक के लिए ही विधिमान्य होगी।

(3) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक साधारण निकाय द्वारा निर्धारित किया जायेगा, ऐसा न होने की दशा में इसका निर्धारण माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(4) कोई भी लेखा परीक्षक–

(क) उसके त्यागपत्र देने पर ;

(ख) इस धारा की उपधारा (6) के अधीन अपने पद से हटाए जाने पर; या

(ग) उसकी पदावधि के पूर्ण होने पर ;

अपने पद पर नही रहेगा।

(5) किसी लेखापरीक्षक का त्यागपत्र, सहकारिता द्वारा लिखित त्यागपत्र प्राप्त किए जाने वाली या त्यागपत्र में विनिर्दिष्ट की गई या इनमें जो तिथि बाद में हो, को प्रभावी होगा।

(6) साधारण निकाय विशेष संकल्प द्वारा किसी लेखापरीक्षक को उसके पद से हटा सकता है।

(7) कोई लेखा परीक्षक जो–

(क) त्याग पत्र दे देता है, या

(ख) कोई नोटिस प्राप्त करता है या उसे पद से हटाए जाने के प्रयोजन के लिए बुलाई गई साधारण सभा की जानकारी अन्यथा प्राप्त करता है;

यथास्थिति अपने त्याग पत्र/मृत्यु के कारण देते हुए या प्रस्तावित हटाए जाने की कार्यवाही पर टिप्पणी करते हुए लिखित कथन बोर्ड को प्रस्तुत करने का हकदार है।

(8) किसी लेखा परीक्षक के त्याग पत्र के कारण हुई रिक्ति माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा भरी जाएगी।

(9) किसी लेखापरीक्षक को पद से हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति सामान्य निकाय द्वारा भरी जाएगी।

(10) किसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया कोई लेखापरीक्षक अपने पूर्ववर्ती के अवशेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा।

(11) लेखापरीक्षक को प्रत्येक साधारण सभा की सूचना दी जाएगी और उसे सहकारिता के खर्च पर सभा में उपस्थित होने और लेखापरीक्षक के रुप में अपने कर्तव्यों से संबंधित मामलों और उनका लेखापरीक्षक के रूप में सुनवाई का हक होगा।

(12) यह सुनिश्चित करना बोर्ड का कर्तव्य होगा कि लेखाओं का वार्षिक/वित्तीय विवरण तैयार किया जाए और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पैंतालिस दिन के अन्दर लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाए।

(13) किसी सहकारिता के लेखापरीक्षक की युक्तियुक्त मांग पर मुख्य कार्यपालक–

(क) सहकारिता के अभिलेखों, दस्तावेजों, पुस्तिकाओं, लेखाओं और वाउचरों, को इस प्रकार उपलब्ध कराएगें, तथा

(ख) ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे–

जो लेखापरीक्षक की राय में उसे परीक्षण करने और रिपोर्ट करने हेतु उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और जो वर्तमान या भूतपूर्व निदेशक, सदस्य, प्रबन्धक या कर्मचारी युक्तियुक्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए सशक्त हो।

(14) लेखापरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि लेखाओं का लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और उसके साथ उसकी रिपोर्ट, बोर्ड द्वारा उसके लेखाओं के वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के साठ दिनों के अन्दर सहकारिता को प्रस्तुत कर दी जाए।

(15) सहकारिता के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में:–

(क) यह कथन होगा कि क्या लेखापरीक्षक ने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ख) यह कथन होगा कि क्या सहकारिता के तुलना पत्र और रिपोर्ट में अंकित आय तथा व्यय, लेखाबही के अनुरूप है ;

(ग) वह आधार दर्शाया जाएगा जिस पर प्रत्येक आस्ति तथा दायित्व का मूल्यांकन किया गया था और उसमें उस रीति की तब्दीली का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख होगा जिसमें ऐसा मूल्यांकन परीक्षणाधीन वर्ष में किया गया था और अधिशेष या घाटे पर उसके प्रभाव का भी उल्लेख होगा ;

(घ) सदस्यों को प्रदान की गई सेवाओं के कारण या कारोबार के सामान्य उपक्रम में उपार्जित अधिशेष या घाटे से सुभिन्न गैर सदस्यों को उपलब्ध सेवाओं से उपार्जित अधिशेष या घाटे की राशि दर्शायी जाएगी ;

(ड.) अनुमोदित बजट में अनुमानित व्यय तथा आय से वास्तविक व्यय और आय में हुआ प्रत्येक विचलन दर्शाया जाएगा ;

(च) यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि लेखापरीक्षाओं के अधीन वर्ष में मुख्य कार्यपालक, पदाधिकारियों में से किसी को या निदेशकों को कुल कितना पारिश्रमिक और/अथवा मानदेय और/अथवा भत्ते और/या लाभ, यदि कोई हो, प्रदान किया गया;

(छ) यह कथन होगा कि क्या इस अधिनियम के अधीन कोई भी पदाधिकारी या निदेशक, समीक्षा के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, पदाधिकारी अथवा निदेशक के रूप में पद पर बने रहने के लिए अपात्र हो गए थे अथवा नहीं; और

(ज) यह कथन होगा कि साधारण निकाय द्वारा उसके पूर्व वार्षिक सभा में अधिशेष के निराकरण पर विनिश्चिय या घाटे के निर्धारण का ठीक तरह से तथा पूर्णतया कार्यान्वयन हुआ है या नहीं।

रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां

45. (1) प्रत्येक वर्ष, वार्षिक साधारण सभा आयोजित किए जाने के 30 दिन के अन्दर प्रत्येक सहकारिता, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां प्रस्तुत करेगी;

(क) कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट;

(ख) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं का लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण;

(ग) सांख्यिकीय विवरण जिसमें सहकारिता का नाम, सहकारिता द्वारा अपने सदस्यों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को सदस्यों की कुल संख्या, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभिव्यक्त कुल दायित्व जैसे–

(i) सदस्यों से निधियां और अधिशेष

(ii) सरकार से प्राप्त निधियां, यदि कोई हो; और

(iii) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अन्य बाहरी स्रोतों से प्राप्त निधियां;

उपलब्ध कराई गई सेवाओं की रुपयों में मात्रा (I) सदस्यों को; (II) गैर सदस्यों को और वर्ष के अन्त में अधिशेष/घाटा दर्शाया जाएगा।

(2) प्रत्येक सहकारिता उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणियों के साथ निम्नलिखित सूचना रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी :–

(क) वार्षिक साधारण सभा की वह तिथि जिसको रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों पर विचार किया गया था या उसे अनुमोदित किया गया था;

(ख) सहकारिता की नामावली पर सदस्यों की कुल संख्या, जो कि ऐसी वार्षिक साधारण सभा की तिथि को मत देने के लिए पात्र थे;

(ग) ऐसे वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित पात्र सदस्यों की संख्या;

(घ) निदेशकों के नाम की सूची, उनके पते तथा उनका कार्यकाल;

(ड.) चालू वर्ष के परीक्षा हेतु नियुक्त किए गए लेखा परीक्षक का नाम एवं पता।

(3) रजिस्ट्रार, इस धारा की उपधारा(1) (ग) के अधीन, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त विवरणों से संकलित, राज्य में कुल सहकारिताओं की संख्या, उनकी सदस्यता, निधि, सेवाओं और अधिशेष/घाटे के संदर्भ में राज्य की सहकारिताओं से संबंधित सांख्यिकीय सूचना से युक्त वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष 30 जून तक सरकार को प्रस्तुत करेगा; रिपोर्ट में सहकारिता विभाग में, प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों सहित कुल कर्मचारियों की संख्या, विभाग के स्थापना व्यय, विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किए गए शुल्क से संबंधित सूचना और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयुक्त की गई संवैधानिक शक्तियों (स्टेच्यूटरी पावर) का सांख्यिकीय सारांश भी शामिल होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, या किसी विवरणी की प्रति या सहकारिताओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रेषित कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा और ऐसी सूचना रजिस्ट्रार द्वारा उचित शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी।

जांच

46.(1) रजिस्ट्रार सर्वप्रथम संबंधित सहकारिता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसी किसी सहायक सहकारिता के जिससे कि सहकारिता संबद्ध है, या किसी लेनदार के, जिसकी कि सहकारिता ऋणी है या निदेशकों के कम से कम एक तिहाई निदेशकों के, या सदस्यों की संख्या के कम से कम एक दशमांश सदस्यों के आवेदन पर इस अधिनियम के या संगम अनुच्छेद के किन्हीं उपबन्धों के सहकारिता द्वारा उल्लंघन के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट विषय या किन्हीं विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में जांच कर सकेगा या जांच करवा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, आवेदक या आवेदकों से ऐसी फीस जैसी कि जांच कराने के खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझी जाए, प्राप्त होने के बाद ही किसी जांच के आदेश करेगा।

(3) ऐसी जांच, जांच का आदेश होने की तिथि से एक सौ बीस दिनों के अन्दर पूरी की जाएगी। परन्तु आगे यह और कि जांच अधिकारी के अनुरोध पर रजिस्ट्रार जांच की इस कार्यवाही को और साठ दिनों के लिए बढ़ा सकेगा।

(4) रजिस्ट्रार, इस धारा की उपधारा (3) में यथाविनिर्दिष्ट, जांच पूरी होने की तिथि से 30 दिन की कालावधि के अन्दर जांच की रिपोर्ट अथवा जांच पूरी न होने की स्थिति में उसके कारणों को–

(क) संबंधित सहकारिता को;

(ख) आवेदक सहायक सहकारिता को, यदि कोई हो;

(ग) आवेदक लेनदार को;

(घ) ऐसे व्यक्ति को जो निदेशक–आवेदकों द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया है, यदि कोई हो;

(ड.) ऐसे व्यक्ति को जो सदस्य आवेदकों द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया है, यदि कोई हो;

(च) किसी व्यक्ति को ऐसे शुल्क का भुगतान करने पर जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ; संसूचित करेगा।

अध्याय–7
अपराध

अपराध

47.(1) कोई व्यक्ति जो जानबूझकर इस अधिनियम में रजिस्ट्रार को भेजी जाने के लिए अपेक्षित कोई ऐसी रिपोर्ट, विवरणी, सूचनायें अन्य दस्तावेज बनाता है या बनाने में सहयोग करता है जिसमें किसी तात्विक तथ्य के लिए मिथ्या कथन निहित है या जिसके ऐसे तात्विक तथ्य का लोप किया गया है जिसकी रिपोर्ट में आवश्यकता है या ऐसे तात्विक तथ्य का लोप करता है जिसके बगैर रिपोर्ट का कथन, भ्रामक हो जाए, उसे दो वर्ष तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनो दण्ड दिए जा सकेंगे।

(2) जहां पर इस धारा की उपधारा(1) के अधीन अपराधकर्ता कोई सहकारिता हैं ओर सहकारिता के ऊपर अभियोग चलाया गया है अथवा दोषासिद्धि हुई है या नहीं, सहकारिता का कोई भी निदेशक या अधिकारी जो जानबूझकर ऐसे अपराध को प्राधिकृत करता है, अनुमति देता है या मौन सहमति देता है, भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और संक्षिप्त दोषसिद्धि पर नब्बे दिनों तक के कारावास अथवा एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनो साथ हो सकेगी।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो–

(क) बिना समुचित कारणों से इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है जिसके लिए किसी दण्ड का अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है; या

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों में अपेक्षित कोई सूचना देने में, कोई विवरणी या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है;

अपराध का दोषी होना और संक्षिप्त दोषसिद्धि होने पर दस हजार रुपए से अनाधिक के जुर्माने से दण्डनीय होना।

(4) किसी सहकारिता द्वारा किया गया कोई अपराध उस सहकारिता के प्रत्येक पदाधिकारी द्वारा किया गया अपराध माना जाएगा जो कि सहकारिता के संगम अनुच्छेद से ऐसे कर्त्तव्यों को पूरा करने को आबद्ध है जिनका उल्लंघन अपराध है या यदि ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है तो उसे प्रत्येक निदेशक द्वारा किया गया अपराध माना जाएगा जब तक कि यथास्थिति पदाधिकारी या निदेशक यह सिद्ध न कर दें कि उन्होंने अपराध होने को रोकने का प्रयास किया था।

(5) जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है, वहां न्यायालय, उस व्यक्ति पर अधिरोपित किए गए किसी दण्ड के अतिरिक्त, इस अधिनियम के उन उपबन्धों का, जिसके उल्लंघन के लिए वह दोषी ठहराया गया है, अनुपालन करने का उस व्यक्ति को आदेश दे सकेगा।

(6) इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए ; उस तिथि से जबकि कार्यवाही का कारण या शिकायत का कारण उत्पन्न हुआ हो, से दो वर्ष के पश्चात् कोई अभियोजन प्रारम्भ नहीं किया जा सकेगा।

(7) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य या लोप के लिए कोई सिविल उपचार इस कारण निलम्बित या प्रमाणित नहीं है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसा कार्य या लोप एक अपराध है।

अध्याय–8
विवाद

विवाद

48.(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि (कानून) में किसी अन्य बात के रहते हुए भी यदि किसी सहकारिता के संविधान, प्रबन्धन एवं कारोबार से संबंधित कोई विवाद–

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों या किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या किसी मृत सदस्य की ओर से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के मध्य; या

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की ओर से दावा करने वाले किसी व्यक्ति तथा सहकारिता, उसके भूतपूर्व या वर्तमान बोर्ड, निदेशक, पदाधिकारी या समापक के बीच; या

(ग) किसी सहकारिता और उसके बोर्ड तथा उसके किसी निवर्तमान बोर्ड, किसी निदेशक, पदाधिकारी या किसी भूतपूर्व निदेशक, भूतपूर्व पदाधिकारी या किसी सहकारिता के किसी मृत निदेशक या मृत पदाधिकारी के नाम निर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि के बीच,

उत्पन्न होता है तो उसे माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा।

(व्याख्याः इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी विवाद के अन्तर्गत, किसी सहकारिता द्वारा किसी ऐसे ऋण या अन्य रकम के लिए, जो किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, किसी मृत व्यक्ति के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधी और/या जमानतदार द्वारा उस सहकारिता को देय कोई दावा कि ऐसे ऋण या अन्य रकम स्वीकार की जाए या नहीं, आएंगे)

(2) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के अधीन माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया गया (भेजा गया) कोई विवाद सहकारिता के संविधान, प्रबन्धन अथवा कारोबार से संबंधित है या नहीं तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण ऐसे विवाद को इस अधिनियम और संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार विनिश्चिय करेगा और ऐसा विनिश्चिय अंतिम होगा। विवाद पर विनिश्चय होने तक माध्यस्थम् अधिकरण ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जैसा कि वह न्यायहित में आवश्यक समझे।

(4) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश या प्रत्येक विनिश्चय का निष्पादन, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रमाण–पत्र पर , अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय द्वारा इस प्रकार किया जाएगा मानों कि ऐसा आदेश उस न्यायालय की डिक्री हो।

(5) इस धारा की उपधारा (4) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी (विधि) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा वसूली की किसी अन्य रीति पर जो की जा रही है या जो की जा सकेगी–प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, माध्यस्थम् अधिकरण सहकारिता द्वारा उसके किसी सदस्य के ऊपर बकाया की वसूली के लिए किए गए कि ऐसे किसी आवेदन के प्राप्त होने पर, उसके द्वारा बकाया के बारे में लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने पर तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि ऐसा अधिकरण उचित समझे, उसमें वर्णित रकम की वसूली के लिए एक प्रमाण–पत्र जारी कर सकेगी जो कि बकाया के रूप में देय हो।

(6) इस धारा की उपधारा(5) के अधीन माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र उसमे कथित देय बकाया के बारे में अंतिम तथा निश्चयात्मक सबूत होगा और मुख्य कार्यपालक द्वारा, संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट रीति से प्रमाण–पत्र निष्पादित किया जा सकेगा।

माध्यस्थम् अधिकरण (Arbitrary Tribunal)

49.(1) प्रत्येक सहकारिता के संगम अनुच्छेद में एक माध्यस्थम् अधिकरण के गठन का प्रावधान, जैसा कि धारा 2(1) में परिभाषित है, होगा।

(2) जिनकी पदावधि तीन वर्ष से अनधिक होगी :

परन्तु जब माध्यस्थम् अधिकरण में एक से अधिक सदस्य होंगे, जो यह लिखित रुप में दर्ज कारणों से कि निस्तारण के लिए इसे निर्देशित किसी विवाद या विवादों के किसी समुच्चय का समाधान इसके एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा किया जाएगा, का चुनाव कर सकेगी और ऐसे सदस्य या सदस्यों के विनिश्चय को माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय माना जाएगा : और

परन्तु यह और कि जब मध्यस्थम् अधिकरण में एक से अधिक सदस्य होंगे तो बहुमत द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण का कोई सदस्य ऐसी योग्यताएं धारण करेगा जैसी कि–संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट हों :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति जो माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्य के रूप में सेवारत रहा है, अगले तीन वर्षो के लिए उस सहकारिता के बोर्ड का चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा।

अध्याय–9

विघटन

सदस्यों द्वारा विघटन

50.(1) कोई सहकारिता, विशेष संकल्प द्वारा अपना स्वयं का विघटन प्राधिकृत कर सकेगी; बशर्ते कि साधारण सभा की सूचना की प्रति, उपस्थित होने के आमंत्रण सहित पंजीकृत डाक द्वारा रजिस्ट्रार को, सहकारिता के सभी लेनदारों को, ऐसी किसी सहायक सहकारिता को जिससे कि सहकारिता संबद्ध है, और ऐसी सहकारिता/सहकारिताओं को जिसके साथ भागीदारी की कोई संविदा की गई है, भेजी जाएगी।

(2) इस धारा की उपधारा(1) के अधीन आमंत्रिती को प्रस्तावित विघटन के प्रश्न पर साधारण निकाय में उपस्थापन (प्रजेन्टेशन) का अधिकार होगा, यदि वह ऐसी इच्छा रखता हो।

(3) सहकारिता, विघटन के लिए ऐसा प्राधिकार दिए जाने से पंद्रह दिन के अन्दर सहकारिता के विघटन के प्राधिकार की एक प्रति पंजीकृत डाक से रजिस्ट्रार को भेजेगी।

(4) इस धारा की उपधारा(1) के अधीन अनुमोदित प्राधिकार में निम्नलिखित वर्णित किए जाएंगे–

(क) सहकारिता की आस्तियां और दायित्व;

(ख) लेनदारों के दावे;

(ग) सदस्यों की संख्या;

(घ) सहकारिता के सदस्यों के हित की प्रकृति तथा उसकी सीमा;

(ड.) सहकारिता द्वारा नियुक्त किए गए समापक का नाम तथा पता।

(5) जब रजिस्ट्रार, इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पारित किया गया विशेष संकल्प प्राप्त करता है तब,

(क) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि सहकारिता की कोई आस्तियां या दायित्व नही हैं, वहां राजिस्ट्रार सहकारिता का विघटन करेगा, सहकारिताओं के रजिस्टर से उसका नाम हटा देगा तथा ऐसी सहकारिता के विघटन का प्रमाण–पत्र जारी करेगा; या

(ख) वह ऐसा संकल्प प्राप्त होने के तीस दिन के अन्दर सहकारिता के खर्च पर ऐसे विशेष संकल्प की सूचना प्रकाशित करवाएगा तथा उस जिले में जहां कि सहकारिता का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, प्रकाशित होने वाले किसी समाचार पत्र में निरन्तर दो सप्ताह तक, सप्ताह में एक बार प्रकाशित करवाएगा।

(6) विघटन की दशा में, रजिस्ट्रार तब तक कि उसके द्वारा विघटन का प्रमाण–पत्र जारी न कर दिया जाय, सहकारिता द्वारा नियुक्त किए गए समापक से या अन्य किसी व्यक्ति से, जिसके द्वारा जानकारी का दिया जाना अपेक्षित हो, ऐसी जानकारी, नियत कालिक विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जिसमें निम्नलिखित दर्शाए जायेंगे:–

(क) विघटन की प्रगति;

(ख) कोई अवितरित अधिशेष या अवितरित आरक्षित राशि; और

(ग) ऐसी अन्य कोई सुसंगत जानकारी जिसकी रजिस्ट्रार को आवश्यकता हो।

रजिस्ट्रार द्वारा विघटन

51.(1) जहां रजिस्ट्रार को, यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण हो कि किसी सहकारिता ने–

(क) अपने पंजीकरण प्रमाण–पत्र पर दर्शाई गई तिथि के पश्चात् दो वर्ष के अन्दर कोई कारोबार प्रारम्भ नहीं किया है;

(ख) लगातार दो वर्षों तक कारोबार नहीं किया है;

वहां वह सहकारिता से यह जानकारी मांगते हुए पंजीकृत डाक द्वारा एक पत्र सहकारिता को भेजेगा कि क्या सहकारिता कारोबार कर रही है।

(2) जहां रजिस्ट्रार, इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पत्र भेजे जाने की तिथि से तीस दिन के अन्दर पत्र का जबाब प्राप्त नहीं करता, वहां वह उक्त 30 दिन बीत जाने पर 15 दिन के अन्दर सहकारिता को एक पत्र यह उल्लेख करते हुए भेजेगा कि–

(क) इस धारा की उपधारा(1) के अधीन एक पत्र सहकारिता को भेजा गया था;

(ख) उस पत्र का कोई उत्तर रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है; और

(ग) यदि इस पत्र को भेजे जाने की तिथि से तीस दिनों के अन्दर इस उपधारा के अधीन भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो सहकारिता को विघटित करने की सूचना 'गजट में' प्रकाशित कर दी जाएगी।

(3) जहां रजिस्ट्रार–

(क) सहकारिता से यह उत्तर प्राप्त करता है कि वह कारबार नहीं कर रही है; या

(ख) इस धारा की उपधारा (2) के अनुसरण में पत्र भेजे जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर उस पत्र का उत्तर नहीं प्राप्त करता है;

वहां वह गजट में सूचना प्रकाशित करेगा और सहकारिता को एक सूचना भेजेगा कि सूचना की तिथि से 30 दिन का अवसान होने पर, जब तक कि प्रतिकूल हेतुक दर्शित न कर दिया जाय, सहकारिता विघटित कर दी जायेगी तथा सहकारिता के रजिस्टर से उस सहकारिता का नाम हटा दिया जायेगा।

(4) इस धारा की उपधारा (3) के अनुसरण में सूचना जारी होने की तिथि से 30 दिन बीत जाने पर रजिस्ट्रार, जब तक कि सहकारिता द्वारा पूर्व में ही प्रतिकूल कारण न दर्शाया जाए–

(क) जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि सहकारिता की कोई आस्तियां और दायित्व नहीं है, वहां उस सहकारिता को विघटित कर देगा, उसका नाम सहकारिताओं के रजिस्टर से हटा देगा और विघटन का एक प्रमाण–पत्र जारी कर देगा; या

(ख) सहकारिता को विघटित करने के लिए इस अधिनियम की धारा 53 के अधीन परिसमापक नियुक्त कर देगा।

(5) जहां कोई सहकारिता, सहकारिता के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो सौ चालीस दिन बीत जाने के बाद भी इस अधिनियम की धारा 45 के अधीन अपेक्षित विवरणी फाइल करने व सूचना देने में असफल रहती है, वहां रजिस्ट्रार बोर्ड से यह अपेक्षा करेगा कि वह रजिस्ट्रार को भेजे जाने वाली वार्षिक विवरणी तथा दी जाने वाली जानकारी पर विचार करने के प्रयोजन हेतु एक विशेष साधारण सभा बुलाए।

(6) जहां बोर्ड द्वारा इस अधिनियम की धारा 28(2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर विशेष साधारण सभा बुलाने में असफल रहता है वहां रजिस्ट्रार यह पता लगाने के लिए कि साधारण निकाय सहकारिता को जारी रखना चाहता है या नहीं, विशेष साधारण सभा बुला सकेगा।

(7) जब कि–

(क) इस धारा की उपधारा(5) या (6) के अनुसरण में बुलाई गई विशेष साधारण सभा में सदस्यों की गणपूर्ति न हो; या

(ख) साधारण निकाय इस आशय का संकल्प पारित करने में असफल रहे कि–

(i) सहकारिता को कारोबार करना है;

(ii) बोर्ड विशेष साधारण सभा की तिथि से साठ दिन के अन्दर, रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली वार्षिक विवरणियां तथा दी जाने वाली जानकारी साधारण निकाय को प्रस्तुत करेगा ; और

(iii) सहकारिता, विशेष साधारण सभा की तिथि से नब्बे दिन के अन्दर विवरणी रजिस्ट्रार को भेजेगी और जानकारी प्रस्तुत करेगी; अथवा

(ग) सहकारिता विशेष साधारण सभा की तिथि से नब्बे दिन के अन्दर रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली विवरणी तथा जानकारी देने में असफल रहती है वहां रजिस्ट्रार–

(i) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि सहकारिता की कोई आस्तियां या दायित्व नहीं हैं, उस सहकारिता को विघटित कर देगा, उसका नाम सहकारिताओं के रजिस्टर से हटा देगा और विघटन का प्रमाण–पत्र जारी कर देगा; या

(ii) सहकारिता के परिसमापन करने के लिए इस अधिनियम की धारा 53 के अनुसार एक परिसमापक नियुक्त करेगा।

न्यायालय द्वारा विघटन

52.(1) रजिस्ट्रार अथवा कोई इच्छुक व्यक्ति, सहकारिता को 90 दिन की सूचना पर, प्रस्तावित आवेदन करने के पश्चात, न्यायालय में सहकारिता के विघटन के आदेश हेतु आवेदन कर सकेगा, जहां पर सहकारिता :

(क) अपना पंजीकरण धोखाधड़ी या गलती से प्राप्त करती है;

(ख) किसी अवैध प्रयोजन हेतु बनी है;

(ग) रजिस्ट्रार की सूचना के बाद इस अधिनियम अथवा इसके संगम अनुच्छेद के किन्हीं उपबधों का जानबूझकर उल्लंघन किया है; या

(घ) अब सहकारिता के आधार पर संचालित नहीं हैं।

(2) जहां कोई इच्छुक व्यक्ति इस धारा के अनुसरण में न्यायालय में आवेदन करता है तो वह रजिस्ट्रार को अपने आवेदन की सूचना देगा तथा रजिस्ट्रार न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर सुनवाई का हकदार होगा।

(3) जहां न्यायालय इस धारा के अनुसरण में प्रार्थना–पत्र प्राप्त करता है तो वह रजिस्ट्रार के पर्यवेक्षण में सहकारिता के विघटन अथवा समापन व विघटन का आदेश दे सकेगा।

(4) जहां रजिस्ट्रार इस धारा की उपधारा (3) के अनुसरण में आदेश प्राप्त करता है, तो वह–

(क) यदि आदेश सहकारिता के विघटन हेतु है, तो विघटन करेगा, सहकारिताओं के रजिस्टर से इसका नाम हटा देगा तथा विघटन का प्रमाण–पत्र निर्गत करेगा;

(ख) यदि आदेश सहकारिता के समापन एवं विघटन का है, तो वह किसी व्यक्ति को सहकारिता के कार्य कलापों का परिसमापन हेतु समापक नियुक्त करेगा।

समापक (लिक्वीडेटर) की नियुक्ति

53. जहां कोई सहकारिता विघटित की जानी है और साधारण निकाय द्वारा कोई समापक नियुक्त नहीं किया गया है वहां रजिस्ट्रार–

सहकारिता के कार्यों का समापन करने हेतु किसी व्यक्ति को इस निर्देश के साथ समापक के रूप में नियुक्त कर सकेगा कि–परिसमापन की कार्यवाही, समापक के रूप में उसकी नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष के अन्दर समाप्त हो जानी चाहिए।

समापक के कर्तव्य

54. कोई समापक अपनी नियुक्ति पर–

(क) अपनी नियुक्ति की सूचना समापक द्वारा ज्ञात प्रत्येक दावेदार तथा लेनदार को तत्काल देगा;

(ख) समापक के रूप में अपनी नियुक्ति की सूचना तत्काल सहकारिता के पंजीकृत कार्यालय वाले क्षेत्र के स्थानीय समाचार पत्र में सप्ताह में एक बार दो सप्ताह तक प्रकाशित करवाएगा;

(ग) इस धारा की उपधारा (क) और (ख) में वर्णित सूचना में ऐसा प्रावधान शामिल करेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति से –

(i) जो सहकारिता का ऋणी है, हिसाब देने तथा उस पर बाकी रकम सूचना में विनिर्दिष्ट समय तथा स्थान पर समापक को भुगतान करने की अपेक्षा की जा सके;

(ii) जो सहकारिता की संपत्ति पर कब्जा रखता हो, सूचना में विनिर्दिष्ट समय तथा स्थान पर उसे समापक को परिदत्त करने की अपेक्षा रखी जा सके; और

(iii) जो सहकारिता के विरुद्ध कोई दावा रखता हो जिससे सूचना के प्रथम प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर, समापक को दावे की लिखित विशिष्टियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा रखी जा सके;

(घ) सहकारिता की संपत्ति को अभिरक्षा और नियंत्रण में लेना;

(ड.) सहकारिता के धन के लिए एक न्यास खाता खोलेगा तथा उसे बनाए रखेगा;

(च) सहकारिता के उस धन का, जो कि उसके द्वारा प्राप्त किया गया हो या उसके द्वारा भुगतान किया गया हो, लेखाजोखा रखेगा;

(छ) सदस्यों की लेनदारों की तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों की पृथक–पृथक सूचियॉ बनाए रखेगा जो सहकारिता के विरुद्ध दावा रखते हों;

(ज) जहां किसी भी समय वह यह अभिनिश्चय करे कि–सहकारिता अपनी बाध्यताओं का भुगतान करने में तथा उन्हें उन्मोचित करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यवस्था करने में असमर्थ है, वहां, यथास्थिति, रजिस्ट्रार को या साधारण निकाय को निर्देश देने के लिए आवेदन करेगा; और

(झ) रजिस्ट्रार या साधारण निकाय को, ऐसे नियत काल पर जैसा कि रजिस्ट्रार या साधारण निकाय अपेक्षा करे, सहकारिता के वित्तीय विवरण ऐसे प्ररूप में, जैसा कि रजिस्ट्रार/साधारण निकाय अपेक्षा करे, प्रदान करेगा।

समापक के कार्य एवं दायित्व

55.(1) समापक–

(क) वकील, लेखाकार, इंजीनियर, मूल्यांकनकर्ता तथा अन्य व्यवसायिक सलाहकारों को प्रतिधारित कर सकेगा;

(ख) सहकारिता की ओर से और उसके नाम से सिविल, अपराधिक, या प्रशासनिक कार्यवाहियां आदि को संस्थित कर सकेगा और उनकी प्रतिरक्षा कर सकेगा;

(ग) सहकारिता का कार्य उस सीमा तक चला सकेगा जहां तक कि वह उसके सुव्यवस्थित समापन के लिए आवश्यक हो;

(घ) सहकारिता की किसी भी संपत्ति को सार्वजनिक नीलामी या निजी विक्रय द्वारा बेच सकेगा;

(ड.) सहकारिता की ओर से तथा सहकारिता के नाम से समस्त कार्य कर सकेगा तथा किन्हीं भी दस्तावेजों का निष्पादन कर सकेगा;

(च) सहकारिता की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार ले सकेगा;

(छ) सहकारिता के किन्हीं दावों या सहकारिता के विरुद्ध किन्हीं दावों का निपटारा या समझौता कर सकेगा; और

(ज) ऐसी समस्त अन्य बातें कर सकेगा जो वह सहकारिता के समापन तथा उसकी संपत्ति के वितरण के लिए आवश्यक समझे।

(2) जहां समापक को यह विश्वास करने का कारण हो कि सहकारिता की कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में है या उसके नियंत्रणाधीन है या उसने ऐसी संपत्ति को छुपाया है, विघटित किया है या उसका दुर्विनियोग किया है तो वह न्यायालय को ऐसे आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि वह व्यक्ति आदेश में निर्धारित समय तथा स्थान पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और उसका परीक्षण किया जाए।

(3) जहां इस धारा की उपधारा (2) के अधीन परीक्षण में यह प्रकट होता है कि किसी व्यक्ति ने सहकारिता की संपत्ति छिपाई है, विघटित की है या उस संपत्ति का दुर्विनियोग किया है, तो वह न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि वह व्यक्ति सहकारिता की ओर से समापक को संपत्ति प्रत्यावर्तित करे या उसके प्रतिकर का भुगतान करे।

(4) समापक प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहकारिता के व्यापार स्टॉक का कोई भाग, ऋण या आस्तियों का क्रय नहीं करेगा।

(5) समापक, यथास्थिति रजिस्ट्रार अथवा साधारण निकाय को समय–समय पर परिसमापन कार्यवाही की प्रगति और हिसाब–किताब प्रस्तुत करेगा।

अन्तिम लेखा

56,(1) समापक सहकारिता की संपत्ति में से परिसमापन के खर्चों का भुगतान करेगा तथा सहकारिता के विरुद्ध समस्त दावों का भुगतान करेगा या उसके लिए पर्याप्त उपबन्ध करेगा।

(2) सहकारिता के विरुद्ध समस्त दावों का भुगतान करने या उनके लिए पर्याप्त उपबन्ध करने के पश्चात् समापक, उसके अंतिम लेखाओं का अनुमोदन करने हेतु तथा संगम अनुच्छेद के अनुसार सहकारिता की शेष बच रही संपत्ति का नकद में या वस्तु रूप में वितरण करने के लिए अनुज्ञा हेतु रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा।

(3) जहां रजिस्ट्रार इस धारा की उपधारा(2) के अधीन समापक द्वारा दिए गए अंतिम लेखाओं को अनुमोदित कर देता है, वहां वह–

(क) सहकारिता के दस्तावेजों को अभिरक्षा में रखने या उसके निपटारे के संबंध में निर्देश जारी करेगा; और

(ख) समापक को उन्मोचित कर देगा।

(4) जहां रजिस्ट्रार इस धारा की उपधारा(3) के अधीन किसी समापक को उन्मोचित करता है, वहां वह सहकारिता को विघटित कर देगा, विघटन का प्रमाण–पत्र जारी करेगा और सहकारिता के रजिस्टर से उसका नाम हटा देगा।

(5) सहकारिता, विघटन के प्रमाण–पत्र में दर्शित उस तिथि से अस्तित्व में नहीं रहेगी।

अध्याय–10

विविध

कुछ करों, कर्तव्यों एवं शुल्कों से छूट

57, सरकार सार्वजनिक हित में यदि उसकी राय से ऐसा करना आवश्यक हो तो गजट में अधिसूचना के द्वारा और ऐसी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे प्रतिबंधों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए सहकारिताओं के संबंध में–

(क) व्यवसाय, व्यापार, पेशे और रोजगार पर करों;

(ख) स्टाम्प शुल्क जिसके साथ, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी सहकारिता द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी पदाधिकारी, या निदेशक या सदस्य द्वारा ऐसी सहकारिता के कारोबार से संबंधित निष्पादित किए गए दस्तावेज अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी भी वर्ग के ऐसे कागजात या क्रमशः रजिस्ट्रार या माध्यस्थम् अधिकरण या समापक के विनिश्चय या आदेश जो प्रभार्य है; अथवा

(ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन पंजीकरण से संबंधित कोई भी भुगतान योग्य शुल्क या न्यायालय शुल्क;

कम कर सकेगी या उसमें छूट प्रदान कर सकेगी।

दस्तावेजों के अनिवार्य पंजीकरण से छूट

58, भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के खण्ड 17(1)(बी) और (सी) में कोई भी बात–

(क) सहकारिता की आस्तियों के अखण्ड अथवा अचल संपत्ति के एक हिस्से में होने के बाबजूद किसी सहकारिता में अंशों से संबंधित कोई दस्तावेज;

(ख) ऐसी किसी भी सहकारिता द्वारा जारी किया गया कोई भी ऋणपत्र , अचल संपत्ति में कोई अधिकार, स्वत्वाधिकार या हित सृजित, घोषित, समनुदेशित, सीमित अथवा समाप्त न करते हुए, सिवाय जहां तक यह धारक को किसी ऐसी पंजीकृत दस्तावेज द्वारा प्रदत्त प्रतिभूति के लिए पात्र बनाता है जिसके द्वारा सहकारिता ने ऐसे ऋणपत्रों के धारकों के लाभ के लिए अपनी अचल संपत्ति का संपूर्ण अथवा एक हिस्सा अथवा उसमे कोई भी हित न्यास के न्यासहितों को गिरवी रख दिया है, अभिहस्तांतरित कर दिया है, या अन्यथा हस्तांतरित कर दिया है;

(ग) ऐसी किसी सहकारिता द्वारा जारी किए गए किसी अन्य ऋणपत्र पर अथवा उसके अंतरण के लिए किसी पृष्ठांकन पर;

लागू नहीं होगी।

रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी लोक सेवक होंगें

59. रजिस्ट्रार अथवा धारा 46 के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति या धारा 49 के अधीन अधिकरण का कोई सदस्य या धारा 53 के अधीन कोई समापक भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम की धारा 21) से अभिप्रेत लोक सेवक समझा जाएगा।

'सहकारी' अथवा 'को–आपरेटिव' शब्द के प्रयोग के विरुद्ध निषेध

60. किसी सहकारिता के अलावा कोई भी व्यक्ति 'सहकारी' अथवा अंग्रेजी में इसके समतुल्य "को–आपरेटिव" शब्द संयुक्त नाम अथवा शीर्षक के अधीन व्यापार या कारोबार नहीं कर सकेगा।

अनुसूची–क

धारा 2(8), एवं 3(3)

सहकारिता की पहचान के विवरण

(जैसा कि – अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता संधि द्वारा सितम्बर(1995) में मानचेस्टर में स्वीकार किया गया)

परिभाषा

1. कोई भी सहकारिता स्वेच्छा से एक हुए व्यक्तियों का ऐसा स्वशासी संगम है जो उन की सामान्य आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं और महत्वकांक्षाओं को किसी संयुक्त स्वामित्व तथा लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से पूरा करता है।

मूल्य

2. सहकारिताएं स्दावलंबन, स्व–उत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता, समता तथा एकता के मूल्यों पर आधारित है। अपने संस्थापकों की परम्परा में सहकारिता के सदस्य ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा परोपकार के नैतिक मूल्यों में विश्वास करते हैं।

सिद्धान्त

3. सहकारिता के सिद्धान्त वे मार्ग दर्शक सिद्धान्त है, जिनके द्वारा वह अपने मूल्यों को व्यवहार में परिवर्तित करती है।

पहला सिद्धान्त : स्वेच्छया तथा खुली सदस्यता

सहकारिताएं ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए मुक्त स्वैच्छिक संगठन है जो उनकी सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ है और सदस्यता के उत्तरदायित्व को किसी लिंग, सामाजिक, जातीय, राजनैतिक या धार्मिक भेदभाव के बिना रजामंदी से स्वीकार करते हैं।

दूसरा सिद्धान्त : सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण

सहकारिताएं अपने उन सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन है, जो उसकी नीतियों के निर्धारण और विनिश्चयों में सक्रियता से भाग लेते हैं। प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित पुरुष तथा स्त्रियां सदस्यता के प्रति जवाबदार हैं। प्राथमिक सहकारिताओं के सदस्यों को समान मताधिकार (एक सदस्य–एक मत) प्राप्त है तथा सहकारिताएं अन्यस्तरों पर भी लोकतांत्रिक रीति में संगठित होती है।

तीसरा सिद्धान्त : सदस्यों की आर्थिक भागीदारी

सदस्य अपनी सहकारिता की पूंजी में अभिदाय करते हैं तथा उसका लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रण करते हैं। उक्त पूंजी का कम से कम एक भाग सहकारिता की सार्वजनिक संपत्ति होती है। सदस्य प्रायः सदस्यता की शर्त के रूप में अभिदत्त पूंजी पर सीमित प्रतिकर, यदि कोई हो, प्राप्त करते हैं। सदस्यगण निम्नलिखित में से किन्हीं प्रयोजनों के लिए अधिशेष आवंटित करते है। संभवतः आरक्षित निधि स्थापित करके उनकी सहकारिता का विकास करने के लिए, जिसका कुछ भाग अविभाज्य हो, सदस्यों को सहकारिता में उनके लेन–देन के अनुपात में लाभ पहुंचाना तथा सदस्यों द्वारा अनुमोदित अन्य क्रियाकलापों का समर्थन करना।

चौथा सिद्धान्त : स्वायत्तता तथा स्वाधीनता

सहकारिताएं अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वशासी, आत्मनिर्भर संगठन है। यदि वे सरकार सहित दूसरे संगठनों से करार करते हैं या बाह्य श्रोतों से पूंजी जुटाते हैं, तो वे ऐसा अपने सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करने और अपनी सहकारिता की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए करती हैं।

पांचवा सिद्धान्त : शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जानकारी

सहकारिताएं अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबन्धकों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराती हैं जिससे वे अपनी सहकारिताओं के विकास में प्रभावी योगदान कर सकें। वे जन सामान्य, विशिष्टतः युवावर्ग को जानकारी प्रदान करती हैं तथा सहकारिता की प्रकृति तथा लाभ के बारे में नेताओं को राय देती हैं।

छठा सिद्धान्त : सहकारिताओं में सहयोग

सहकारिताएं स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के माध्यम से कार्य करते हुए अपने सदस्यों की प्रभावी सेवा करती हैं और सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ करती हैं।

सातवां सिद्धान्त : समुदाय के लिए सरोकार

सहकारिताएं अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदायों के धारणीय विकास के लिए कार्य करती हैं।

अनुसूची–ख

धारा 3(4) एवम् 3(5)

संगम ज्ञापन

(पंजीकृत की जाने वाली सहकारिताओं के लिए)

(प्रारूप जिसमें प्रस्तुत किया जाना है)

1. हम निम्नलिखित व्यक्ति–

क्र.सं.	पूरा नामः– साफ अक्षरों में	पूरा डाक पताः– साफ अक्षरों में	यदि प्रवर्तक व्यक्ति है, तो उनका व्यवसाय

अपने को उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2002 के अधीन एक सहकारिता के रुप में पंजीकृत करना चाहते हैं।

(कृपया प्रवर्तकों की संख्यानुसार पंक्तियां बनायें)

2. पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए उपयुक्ति क्रम सं. .....पर श्री/श्रीमती ....हमारे प्रतिनिधि होंगे और सभी पत्र व्यवहार उनको उनके पते .....पर किए जाएं।
3. हमारी सहकारिता का नाम.....
4. हमारी सहकारिता का पंजीकृत कार्यालय ....में स्थित होगा(कृपया रिक्त स्थान में गांव/कस्बा/शहर का नाम लिखें)।

5. हमारी सहकारिता का लक्ष्य होगा.....
(यहां पर केवल उन्हीं आवश्यकताओं को बताया जाए जो सभी सदस्यों के लिए सामान्य हो तथा जिन्हें सहकारिता को पूरा करना है तथा जिनके लिए इसकी स्थापना की जा रही है अर्थात– डेरी उद्योग/रेशम उत्पादन/धान की खेती आदि अथवा अच्छी गुणवत्ता वाली उपभोक्ता सामग्रियों तक पहुंच/आवास प्रबंध/युक्तियुक्त दामों पर उत्पादन निवेश, अथवा बचत एवं उद्यम/बीमा तक पहुंच आदि/कृपया यहां पर उन सेवाओं या कार्यकलापों की सूची न दे जिनके माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा)।

6. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि अधिनियम की अनुसूची 'क' में यथानिर्धारित सहयोग के सिद्धान्तों के लिए प्रतिबद्ध हैं और इन्हीं के अनुरूप अपनी सहकारिता का प्रबन्ध करने का इरादा रखते हैं।

7. हमने निम्नलिखित कागजात संलग्न किए हैं :–
(क) हम, प्रवर्तकों द्वारा यथा अंगीकृत प्रस्तावित सहकारिता का संगम अनुच्छेद;
(ख) सभा में संगम अनुच्छेद को अंगीकार करते हुए पारित किए गए संकल्प की एक सत्यापित प्रतिलिपि;
(ग) श्री/श्रीमती .....वकील/चार्टेड एकाउन्टेट से घोषणा पत्र कि पंजीकरण के संबंध में हमारे द्वारा इस अधिनियम की सभी आवश्यकताओं का पूरी तरह पालन किया गया है।

8. दिनांक .....को .....(स्थान), में हम लोगों द्वारा हस्ताक्षरित :–

क्र. सं.	पूरा नाम (जहाँ सहकारिता प्रवर्तक है, प्रतिनिधि के नाम और पदनाम सहित)	हस्ताक्षर

अनुसूची–ग

धारा 3(6)

पंजीकरण का प्रमाण–पत्र

(पंजीकृत की जाने वाली सहकारिता के लिए)

रजिस्ट्रार, स्वायत्त सहकारिता

उत्तरांचल सरकार

उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन पंजीकरण का प्रमाण–पत्र

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

.....

.....

.....

इसके संगम ज्ञापन और प्राधिकृत संगम अनुच्छेद सहित .....संख्या के साथ पंजीकृत हैं

मेरे हस्ताक्षर एवं मेरी मुद्रा के अधीन.....को जारी

रजिस्ट्रार स्वायत्त सहकारिता
उत्तरांचल सरकार

अनुसूची–घ

धारा 4(2) एवम् 6(3)

संगम ज्ञापन

(उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 से परिवर्तित होने वाली सहकारिताओं के लिए)

(प्ररूप जिसमें प्रस्तुत किया जाना है)

1. हम .....के बोर्ड के निदेशक एतद्द्वारा यह कथन करते हैं कि हमारी सहकारी समिति का साधारण निकाय यह चाहता है कि हमारी सहकारी समिति अब उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2002 के अधीन एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत हो जाए।
   (कृपया सहकारी समिति का वर्तमान पूरा नाम यहां भरें)
2. पंजीयन के प्रयोजन के लिए सभी पत्राचार कृपया ..... को .....पर भेजे जाएं।
   (कृपया पहली खाली जगह में सहकारी समिति के संपर्क व्यक्ति का नाम एवं पदनाम तथा दूसरी खाली जगह में सहकारी समिति का डाक का पूरा पता भरें)
3. उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2003 में परिवर्तन के बाद हमारी सहकारिता का नाम वही रहेगा/ ....हो जाएगा।
   (नाम में परिवर्तन होगा अथवा नहीं के आधार पर उपर्युक्त में से जो भी लागू न हो काट दिए जाएं)
4. हमारी सहकारी समिति का पंजीकृत कार्यालय ..... में स्थित हैं और वहीं पर रहैगा/बदल कर .... हो जाएगा।
   (खाली जगह में गांव/कस्बे/शहर का नाम भरें और जो लागू न हो,उसे काट दें)
5. हमारी सहकारी समिति का लक्ष्य .....है और परिवर्तन हो जाने के बाद भी वही रहेगा / परिवर्तित होकर ....हो जाएगा।
   (पहली खाली जगह में केवल उन्हीं आवश्यकताओं को भरा जाएं जो सभी सदस्यों के लिए सामान्य हों और जिनके लिए सहकारी समिति स्थापित की गई थी और दूसरी खाली जगह में, यदि कोई परिवर्तन हो, तो उसे भरें /कृपया यहां उन सेवाओं की सूची न दें जिनके माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा)
6. हम लोगों ने इसके साथ निम्नलिखित संलग्न किया है :–
   (क) हमारे साधारण निकाय द्वारा पारित किए गए संकल्प की एक सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें इस अधिनियम की अनुसूची–क में यथानिर्धारित सहयोग के सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है;
   (ख) हमारे साधारण निकाय द्वारा यथा अंगीकृत प्रस्तावित सहकारिता का संगम अनुच्छेद;
   (ग) सभा में संगम अनुच्छेद को अंगीकृत करते हुए पारित किये गए संकल्प की एक प्रति;

(घ) साधारण निकाय की ऐसी घोषणा की सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें यह कथन है कि हमारी सहकारी समिति को सरकार से या अन्य बाह्य श्रोतों से कोई अंशपूंजी नहीं प्राप्त हुई है और न ही सदस्यों के अलावा सरकार अथवा किन्हीं अन्य बाह्य श्रोतों से कमी भी अंशपूंजी प्राप्त करने का इरादा ही है;

(ड.) नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण की एक सत्यापित प्रतिलिपि;

(च) विभिन्न आरक्षित निधियों से संचित हानियों को मिटाने के सबंध में विवरणों से युक्त साधारण निकाय के संकल्प की एक सत्यापित प्रतिलिपि और/अथवा सभा में यथा विनिश्चित सदस्यों के लेखाओं के नामे डालकर, (अथवा) सांधारण निकाय के संकल्प की एक सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें यह कथन है कि हमारी सहकारी समिति में हानियां नहीं हैं चाहे वह संचित हो या वर्तमान;

(छ) किसी लेखापरीक्षक द्वारा सही प्रमाणित की गई संचित हानियों, यदि कोई हो, के समायोजन का कथन;

(ज) श्री /श्रीमती.....

वकील/चार्टर्ड एकाउन्टेंट की घोषणा कि पंजीकरण के संबंध में इस अधिनियम की सभी आवश्यकताएं हमारे द्वारा पूरी की गई हैं।

7. उस साधारण निकाय सभा की विशिष्टियाँ जिसमें परिवर्तन का विनिश्चय किया गया था–

साधारण निकाय की सभा की तिथि	साधारण निकाय सभा की तिथि को सदस्यों की संख्या	साधारण निकाय सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या	सदस्यों की संख्या जिन्होंने परिवर्तन के पक्ष में मद दिया

8. हम लोगों द्वारा दिनांक .....को .....(स्थान) में हस्ताक्षरित किया गया :–

क्र.सं.	निदेशक का पूरा नाम	पदनाम	हस्ताक्षर

(नोट–कृपया निदेशकों की संख्यानुसार पंक्तियां बनायें एवं मुख्य कार्यपालक के हस्ताक्षर भी लिए जायें)।

अनुसूची–ड.

धारा 4(2)

पंजीकरण का प्रमाण–पत्र

(उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 से परिवर्तित होने वाली सहकारिताओं के लिए)

रजिस्ट्रार स्वायत्त सहकारिता

उत्तरांचल सरकार

उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2003 की

धारा 4 के अधीन पंजीकरण का प्रमाण–पत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि

.....

.....

अपने संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद सहित संख्या.....के साथ पंजीकृत की गई है।

यह सहकारिता, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन पंजीकृत .....(पंजीकरण संख्या.....दिनांक.....) की उत्तराधिकारी है, जिसका पंजीकरण अब से निरस्त हो जाएगा और अब इसके द्वारा इसकी पूर्ववर्ती सहकारी समिति के सभी अधिकारों, बाध्यताओं और आस्तियों एवं दायित्वों को ग्रहण कर लिया माना जाएगा। उस पूववर्ती सहकारी समिति के सभी कृत्य और लेन–देन इस सहकारिता पर न्यागत हो जाएंगे।

मेरे हस्ताक्षर और मेरी मुद्रा के अधीन

आज दिनांक .....को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार, स्वायत्त सहकारिता

उत्तरांचल सरकार

अनुसूची–च

धारा 6(3)

जब किसी सहकारिता के संगम अनुच्छेद की विरचना की जानी हो तो विनिर्दिष्ट विचार के लिए विषय वस्तु,

1. सहकारिता की पहचान
   (क) सहकारिता का नाम और कोई संक्षिप्त नाम जिससे सहकारिता प्रचलित होनी हो;
   (ख) ग्राम/कस्बा/शहर जहां सहकारिता का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाना है;
   (ग) सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा तथा उपयोग।
2. लक्ष्य तथा सेवा
   (क) सदस्यों की सामान्य केन्द्रीय आवश्यकता के रूप में स्पष्टतया कथित सहकारिता का लक्ष्य जिसे सहकारिता पूर्ति करने का लक्ष्य रखती है;
   (ख) लक्ष्य में वर्णित सामान्य केन्द्रीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सदस्यों की अभ्यंतर सेवा तथा समर्थित सेवा;
   (ग) वे शर्तें जिनके अधीन गैर सदस्यों को सेवाएं दी जा सकेंगी।
3. सदस्यता
   (क) सदस्यता हेतु आवेदन करने के लिए प्रपत्र;
   (ख) ऐसे सदस्य द्वारा आस्तियों के लिए प्रपत्र जिसके ऊपर सहकारिता को देय बकाया राशि प्रथम प्रभार होगी;

(ग) सदस्यता प्राप्त करने के लिए पात्रता, अपात्रता;
(घ) सदस्य बनाये रखने के लिए पात्रता, अपात्रता;
(ड.) सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया;
(च) सदस्यता से हटने के लिए प्रक्रिया;
(छ) सदस्यता की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;
(ज) परिस्थितियां जिनके अधीन सदस्यता खत्म हो जायेगी;
(झ) सदस्यता के अस्तित्वहीन होने की की प्रक्रिया।

4. सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएं
(क) सदस्यों का अधिकार;
(ख) मताधिकार को सम्मिलित करते हुए सदस्यता के अधिकार का प्रयोग किए जाने के लिए पात्रता क्रम में वित्तीय अभिवंधन, सभा में भाग लेना, तथा संगम अनुच्छेद की अनुषक्ति के विरुद्ध सेवाओं का उपयोग तथा प्रत्येक सदस्य से वार्षिक रूप से प्रत्याशित न्यूनतम काम से नियतन की रीति;
(ग) नियत किए गए न्यूनतम स्तर से नीचे काम करने का परिणाम;
(घ) किसी सदस्य से शोध्य किसी राशि के भुगतान में व्यतिक्रम का परिणाम।

5. साधारण निकाय
(क) साधारण निकाय की तथा प्रत्यायुक्त साधारण निकाय यदि कोई हो, की भूमिका और वे विषय जिनके बारे में साधारण निकाय तथा प्रतिनिधित्व साधारण निकाय द्वारा, यदि हों, विचार किया जाना आवश्यक समझा जाए;
(ख) साधारण सभा बुलाए जाने की रीति तथा उनकी आवृति तथा अपेक्षित गणपूर्ति;
(ग) सभा को स्थगित करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति;
(घ) वे शर्तें एवं रीतियां जिनके अनुरूप माध्यस्थम् अधिकरण साधारण सभा बुला सकेगा;
(ड.) साधारण सभा की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त;
(च) असाधारण साधारण समा बुलाने का उत्तरदायित्व लेने के लिए व्यक्ति और उसे बुलाने की रीति और वह कालावधि जिसमें ऐसी बैठक, तदर्थ बोर्ड की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए बुलायी जानी थी।

6. निदेशक बोर्ड
(क) निदेशक बोर्ड का आकार तथा संरचना;
(ख) निदेशक होने, के लिए पात्रता, अपात्रता;
(ग) निदेशक का पद धारण करने के लिए पात्रता, अपात्रता;
(घ) निदेशकों के निर्वाचन एवं उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया;
(ड.) निदेशकों की पदावधि;
(च) बोर्ड की सभा की आवृत्ति;
(छ) बोर्ड की सभा बुलाने की रीति तथा गणपूर्ति;
(ज) बोर्ड के कार्य, दायित्व एवं शक्तियां;
(झ) बोर्ड की सभा की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त;
(ञ) निदेशकों के कृत्य, दायित्व एवं शक्तियाँ;
(ट) माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा तदर्थ बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्रता, अपात्रता।

7. अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी
(क) अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों, यदि कोई हों, का निर्वाचन एवं उन्हें पद से हटाना;
(ख) अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों, यदि कोई हों, के कार्य, दायित्व एवं शक्तियां।

8. मुख्य कार्यपालक एवं कर्मचारीवृन्द
(क) वह व्यक्ति जो सहकारिता की और से वाद ला सकता है या जिस पर वाद लाया जा सकेगा;
(ख) मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति तथा उसे हटाए जाने की रीति;
(ग) मुख्य कार्यपालक के कार्य, दायित्व तथा शक्तियां।

9. वित्त

(क) वह वित्तीय वर्ष जिसे सहकारिता अंगीकरण करना चाहती है;
(ख) लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की रीति तथा उनके कर्तव्य;
(ग) आन्तरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की रीति तथा उनके कर्तव्य;
(घ) सहकारिता की साम्य पूंजी की प्रकृति और धनराशि, यदि कोई हो;
(ड.) वह अधिकतम पूंजी जिसे एकल सदस्य रख सकता है;
(च) जुटाई जाने वाली निधियों का प्रकार तथा उसकी सीमा;
(छ) वे प्रयोजन जिनके लिए सहकारिता द्वारा जुटाई जाने वाली निधियां उपयोजित की जा सकेंगीं;
(ज) ऋण समता का वह अनुपात जिसे वह सहकारिता सदैव बनाए रखना चाहती है तथा वह अधिकतम बाह्य ऋण जिसे कोई सहकारिता किसी भी समय स्वयं के लिए अनुपात करना चाहती है;
(झ) किसी सदस्य द्वारा शेयर या ब्याज के अंतरण की प्रक्रिया;
(ञ) सहकारिता द्वारा शेयर के मोचन की प्रक्रिया;
(ट) सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ब्याज के अंतरण या संदाय की प्रक्रिया;
(ठ) सहकारिता द्वारा संविदाकृत ऋण के लिए सदस्यों के उत्तरदायित्व की प्रकृति तथा उसकी सीमा;
(ड) सहकारिता द्वारा संविदाकृत ऋण के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व की प्रकृति तथा उसकी सीमा;
(ढ) निधियों के निपटारे की रीति यदि परिसमापन के अधीन हो।

10. सहायक सहकारिताएं

(क) वे अधिकार, यदि कोई हों, जिन्हें कोई सहकारिता ऐसी किसी सहायक सहकारिता को प्रदत्त करना चाहती है जिसकी कि वह सदस्य है तथा वे परिस्थितियां जिनमें ऐसी सहायक सह–कारिताओं द्वारा इन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकेगा;
(ख) सहायक सहकारिता के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें बदलने की प्रक्रिया।

11. माध्यस्थम् अधिकरण

(क) विवादों के निपटारे के लिए माध्यस्थम् अधिकरण के गठन एवं कार्य करने की रीति।
(ख) माध्यस्थम् रूप में चुने जाने के लिए पात्रता, अपात्रता;
(ग) माध्यस्थम् रूप में बने रहने के लिए पात्रता, अपात्रता;
(घ) वे रीतियाँ एवं शर्तें जिनके अधीन माध्यस्थम् अधिकरण तदर्थ बोर्ड नियुक्त कर सकेगा।

12. अन्य विवाद

(क) वह भाग जिसमें सहकारिता के कामकाज का संचालन किया गया है;
(ख) अस्थायी प्रकृति के कोई उपबन्ध;
(ग) सहकारिता के विघटन की रीति;
(घ) संगम अनुच्छेद में संशोधन की रीति।

आज्ञा से,

भरोसी लाल,
सचिव।